विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–20/2026
पंजीकरण तिथि–07.02.2026
निर्णय तिथि–22.08.2026

अमित अग्रवाल
कोहिनूर टाल्क इंडस्ट्रीज
ग्राम–बच्चीपुर, गैस प्लाट के पीछे
मोटाहल्दू, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हीरानगर, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि दिनांक 03.05.2025 को हमारे उपरोक्त कनेक्शन में लगे हुए मीटर (सिक्योर मेक–न०–0596129) को बदल कर स्मार्ट मीटर (GENUS मेक–न० 46000632) लगाया गया है। स्मार्ट मीटर के PF अत्यधिक कम पाया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा फोन द्वारा व व्यक्तिगत रूप से विधुत अधिकारियो के समक्ष की गई। इसी क्रम में दिनांक 07.07.2025 को चैक मीटर लगाने हेतु प्रार्थना पत्र E.E., E.D.D. (R) के कार्यालय में दिया गया। और चैक मीटर का शुल्क रसीद संख्या–06 पुस्तक संख्या–041126 दिनांक 07.07.2025 को जमा कर दिया गया। दिनांक 17.07.2025 को विभाग द्वारा चैक मीटर नं०–Q0596160 स्थापित किया गया। दिनांक 14.08.2025 को दोनों मीटर की रीडिंग ली गई जिसमे स्मार्ट मीटर की रीडिंग (KvAh27840) चैक मीटर की रीडिंग (KvAh 2576) की तुलना में (KVAH) में बहुत अधिक पाई गई। स्मार्ट मीटर PF भी गलत रीडिंग कर रहा है, इसकी शिकायत पूर्व में भी की गई। उद्योग मित्र की मीटिंग में भी हमारे व अन्य उपभोक्ताओं द्वारा भी ये विषय उठाया गया था, विभाग द्वारा हमारा फाइनल बिल चैक मीटर से अभी तक नहीं बनाया गया और बिना हमारी स्वीकृति के दिनांक 03.10.2025 को चैक मीटर को ही बदल दिया गया। विभाग का यह कृत्य उचित नहीं है। विभाग द्वारा दिनांक 19.11.25 को हमारी फैक्ट्री पर स्मार्ट मीटर से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग विभाग के

संयोजन से कार्यशाला आयोजित की गई एवं परिक्षण किया गया, स्मार्ट मीटर को लोड पर चैक करा गया लोड पर PF 0.996 पाया गया और बिना लोड के PF 0.48 पाया गया, परन्तु मीटर को सील करते समय विभागीय अधिकारियो और कर्मचारियों की उपस्थिति में अचानक PF 1.0 हो गया (बिना लोड के)। विभाग के मोबाईल ऐप पर भी PF सही नहीं आ रहा है, हमारे द्वारा प्रति दिन रीडिंग लेने पर भी PF में अंतर आ रहा है। आपसे निवेदन है कि हमारे बिल को 14.08.2025 की रीडिंग के आधार पर संशोधित करने की कृपा करे। बिलो में संशोधन और स्मार्ट मीटर के कारण PF सम्बंधित निराकरण के लिए विभाग को पत्र भी दिए है, उनकी डिटेल संलग्न है। हमारे द्वारा समय समय पर विद्युत विभाग को भुगतान (अंडर प्रोटेस्ट) भुगतान अंतरिम रूप से लगातार किया जा रहा है। विद्युत विभाग द्वारा अभी तक हमारी समस्या का निराकरण नहीं किया गया है, और हमें एक डिमांड नोटिस दिनांक 4 जनवरी 2026 को भेजा गया है इसके उत्तर में हमने श्रीमान अधिशाशी अभियंता महोदय को समस्या का उल्लेख करते हुए नोटिस को रद्द करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2026 को दिया है और उनसे मुलाकात कर समस्या के निदान का निवेदन किया गया। आपसे निवेदन है की इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही को प्रकरण के निस्तारण तक हमारे विरुद्ध न की जाने के लिए भी विभाग को आदेशित करने की कृपा करे।

महोदय दिनांक 19.12.2025 को माननीय जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में हुई उद्योग मित्र की मीटिंग में भी इस समस्या को त्वरित समाधान के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा विभाग को निर्देशित किया गया था। दिनांक 14.01.2026 को श्रीमान अधीक्षण अभियंता महोदय के साथ भी इस समस्या के निराकरण हेतु मीटिंग हुई थी, जिसमे उनके द्वारा मीटर सप्लायर कंपनी के प्रतिनिधि को इस समस्या के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया था, परन्तु अफसोस है कि अभी तक इस समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ है। मान्यवर हमारी लघु उद्योग ईकाई है, जो सोप स्टोन पावडर बनती है, परन्तु गत वर्ष से माइनिंग पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश के कारण कच्चे माल कि कमी कि वजह से हमारी ईकाई बहुत ही कम उत्पादन कर रही है, इस स्मार्ट मीटर के लगने से हमारा अत्यंत मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। स्मार्ट मीटर की रीडिंग, अविश्वनीय होने के कारण, जब तक स्मार्ट मीटर की विश्वनीयता संतोष जनक न हो तब तक स्मार्ट मीटर से पूर्व में लगे मीटर को साथ में लगा कर उस मीटर के अनुसार ही विद्युत बिलों को बनाया जाने का आदेश देने की कृपा करे। अतः महोदय से निवेदन है कि हमारी समस्या का शीघ्र संज्ञान लेते हुए हमें न्याय दिलवाने की कृपा करे।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 16.02.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है विद्युत संयोजन संख्या 390K000001713 (200.00 KVA) की बिल रीडिंग के आधार पर सही बने है। उपभोक्ता का विद्युत खपत बहुत अधिक है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 24.02.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु परिवादी उपस्थित, विपक्षी की ओर से खण्डीय बिल लिपिक उपस्थित हुये। यह शिकायत 200 के0वी0ए0 विद्युत भार के संयोजन की मीटरिंग के संबंध में है। जिसमें परिवादी ने शिकायत की है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से उसके मीटर में खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है तथा इस सापेक्ष पावर फैक्टर बहुत कम आने की समस्या आ रही है। यह समस्या

स्मार्ट मीटर लगने के बाद से आ रही है। उपभोक्ता ने अपने मीटर की जांच के लिए विभाग में आवेदन किया तो दिनांक 17.07.2025 को चैक मापक स्थापित किया गया। चैक मीटर फाईनल रिपोर्ट में रीडिंग 2576 KVAH पायी गयी जबकि स्मार्ट मीटर में 27840 KVAH रीडिंग दर्ज हुई। इसी प्रकार स्मार्ट मीटर में पावर फैक्टर कम आ रहा है जबकि चैक मापक में एकदम सही है। उपभोक्ता का कहना है कि गलत बिलिंग पर बिना जांच के सैक्शन 3 का नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

सुनवाई से पूर्व विपक्षी का उत्तर पत्र जो मंच में प्रस्तुत किया गया उसमें शिकायत का बिन्दुवार उत्तर देने की बजाय मात्र यह लिखा गया है कि परिवादी का बिल रीडिंग के आधार पर सही है चैक मापक के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अतः मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण की स्पष्ट बिन्दुवार आख्या सहित दिनांक 09.03.2026 पूर्वाहन 11:00 बजे तक मंच में प्रस्तुत करें। साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि परिवादी द्वारा फरवरी माह में यदि ₹100000.00 (एक लाख रूपये मात्र) जमा किया जाता है तो उसका संयोजन विच्छेदित ना करे।

4. दिनांक 11.03.2026 को सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच में उपस्थित हुये। विपक्षी अधिशासी अभियन्ता द्वारा विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी, जिसे स्वीकार किया गया। परिवादी ने मंच के संयोजन विच्छेदित न करने के आदेश दिनांक 24.02.2026 को विस्तारित करने का अनुरोध किया, परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने मंच के आदेश पर ₹ 100000.00 (एक लाख रूपया) विभाग में जमा करवा दिया है। विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि परिवादी यदि Current Bill की राशि जमा करता है तो वाद के निस्तारण तक संयोजन विच्छेदित ना किया जाये। विपक्षी/विभाग दिनाक 20.03.2026 तक विस्तृत आख्या मंच में प्रस्तुत करें।
5. विपक्षी द्वारा दिनांक 20.03.2026, 04.04.2026 एवं 08.04.2026 को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु समय विस्तार की मांग की जाती रही। न्यायहित में समय विस्तार की मांग को स्वीकार किया गया। दिनांक 16.04.2026 को विपक्षी अधिशासी अभियंता (वितरण) ने आख्या प्रस्तुत करते हुए कहा कि उक्त वाद में अधिशासी अभियंता, परीक्षण खंड, हल्द्वानी से चैक मीटर की आख्या प्राप्त हो गई है। जिसको माननीय फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. अधिशासी अभियंता, परीक्षण खंड, की निम्न आख्या अधिशासी अभियंता (वितरण) के माध्यम से मंच में प्रस्तुत की गयी।(Check meter report of M/s Kohinoor Talc--390K000001713, Load-200KVA.)

With reference to the above mentioned subject, check meter report of M/s Kohinoor Talc, 390K000001713, Load-200 KVA is as follows:-

(A) Check Meter installed at consumer premises on dated 17.07.2025
(B) Connection checked on 14.08.2025

Consumption detail for period 17.07.2025 to 14.08.2025 is hereunder:-

Date	Main Meter 0.2S (46000632)		Check Meter 0.5S (Q0596160)	
	Kwh	Kvah	Kwh	Kvah
14.08.2025	36.4	218.4	6466	8611

17.07.2025	30.1	148.4	5827	7966
Difference	6.3	70	639	645
MF	400	400	4	4
Consumption	2520	28000	2556	2580

On checking following results observed:--

(1) Difference in Kwh consumption found within permissible limit.
(2) Difference found in Kvah consumption due to heavy over capacitive injection of capacititive power, which causing a low PF condition.
(3) On 13.08.2025 consumer connection & meter no 46000632 have been checked by M/S YMPL (NABL accrediated agency) and found OK.
(4) It was informed to consumer that he need to fine tune the APFC panel to an extent that it inject only the required amount of capacitive power to ultimately improve PF. Suggestions were given to consumer regarding PF correction and also advised that if PF correction not Possible then keep its APFC in shutdown mode.

(C) Consumer putted its APFC in shut down mode on 17.08.2025 as appears in MRI report. Consumption detail (APFC ON condition) for period 17.07.2025 to 17.08.2025 is hereunder-

Date	Main Meter 0.2S (46000632)		Check Meter 0.5S (Q0596160)	
	Kwh	Kvah	Kwh	Kvah
17.08.2025	37.038	221.95	6525	8679.5
17.07.2025	30.1	148.4	5827	7966
Difference	6.938	73.55	698	713.5
MF	400	400	4	4
Consumption	2775.2	29420	2792	2854

Following results observed:-

(1) Difference in Kwh consumption found within permissible limit.
(2) Difference found in Kvah consumption due to heavy over capacitive injection of capacititive power.

(D) Check meter Q0596160 (0.5S) finalised on dated 03.10.2025 when APFC was shut down.

Consumption detail (APFC OFF condition) for period 17.08.2025 to 03.10.2025 is hereunder:-

Date	Main Meter 0.2S (46000632)		Check Meter 0.5S (Q0596160)	
	Kwh	Kvah	Kwh	Kvah
03.10.2025	47.37	240.05	7557	10462

17.08.2025	37.038	221.95	6525	8679.5
Difference	10.332	18.1	1032	1782.5
MF	400	400	4	4
Consumption	4132.8	7240	4128	7130

On analysing consumption following results observed:-

(1) Difference in Kwh consumption found 0.11% within permissible limit.
(2) Difference in Kvah consumption found 1.54% within permissible limit.

(1) The Consumption in KWH of both meters is within permissible limit.

(2) The Consumption variation in KVAH of both meters for period 17.07.2025 to 16.08.2025 is due to over compensation of capacitive power of Capacitor bank which is considered by smart meter in KVAH caclulations

(3) The excess of Leading KVAR (more than that required to negate lagging KVAR) injected by capacitor bank installed at the consumer premises during 17.07.2025 to 16.08.2025 causes the PF to go down and hence the KVAH rises .

(4) Several visits were made to the consumer premises and consumer was informed that he needs to fine tune the APFC panel to an extent so as to inject only the required amount of capacitive power so that the PF improves. Suggestions were given to the consumer for improvement in PF.

(5) Consumer meter 46000632 have been checked by M/S YMPL (NABL accrediated agency) and found OK.

(6) Since both meters KWH energy consumption is within permissible limit and KVAH energy consumption is dependent on the accuracy and effectiveness of capacitor bank, hence the KVAH calculation of Smart Meter is considered OK.

(7) As per above details consumption of Smart meter seems OK and variation in KVAH consumption (higher in smart meter) is due to over capacitive compensation (Leading KVAr) recorded by smart meter for period 17.07.2025 to 16.08.2025. For period of 17.08.2025 to 03.10.2025. consumption variation in KWH & KVAH for main & check meter found within permissible limit. The cosumer needs to fine tune the APFC/ Capacitor bank Panel (if it is in working state) so as to minimise Over Reactive Compensation (Leading KVAr), as the extra reactive power used by the capacitor is also taken from Grid itself.

Further to enquire the matter in depth, old 0.5S accuracy check meter (Q0596160) finalised at site and new check meter of 0.2S accuracy (X1911094) installed at site for consumer satisfaction.

(E) New Check meter X1911094 (0.2S) installed on dated 03.10.2025
Check meter finalised on dated 07.11.2025.
Consumption detail for period 03.10.2025 to 07.11.2025 is hereunder:-

Date	Main Meter 0.2S (46000632)		Check Meter 0.5S (X1911094)	
	Kwh	Kvah	Kwh	Kvah
07.11.2025	53.35	249.55	462973	469756

03.10.2025	47.37	240.05	462376	468825
Difference	5.98	9.5	597	931
MF	400	400	4	4
Consumption	2392	3800	2388	3724

On analysing consumption following results observed:-

(1) Difference in Kwh consumption found 0.16% within permissible limit.
(2) Difference in Kvah consumption found 2.04% within permissible limit.

(F) Check meter X1911094 (0.2**S**) removed from site on dated 07.11.2025

7. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 06.05.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच में उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों / साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा मंच के समक्ष प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर कहा गया कि हमारी सोप स्टोन पाउडर इकाई में सन 2011 से 200 KVA का HT विधुत कनेक्शन संख्या–390K00001713 स्थापित है। हमारे कनेक्शन में शुरू से ही इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए गए थे। विभाग द्वारा दिनांक 31.12.2022 से हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर संख्या–Q0596129 लगाया गया। विभाग द्वारा समय–समय पर मीटर की चैकिंग की जाती रही है जिसमे कोई त्रुटि नहीं पाई गई। विभाग द्वारा बिना हमारे किसी अनुरोध के, दिनांक 03.05.2025 को इलेक्ट्रॉनिक मीटर हटा कर स्मार्ट मीटर संख्या 46000632 GENUS मेक लगा दिया गया। पुराने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के सापेक्ष नए स्मार्ट मीटर में विधुत खपत अत्यधिक आने पर हमने विभाग को इसकी शिकायत की। जबकि हमारी प्रोडक्शन विधि में कोई भी अंतर नहीं हुआ बल्कि उत्तरोत्तर कच्चे माल की कमी की वजह से प्लांट के कार्य समय घटता ही गया जो निम्न प्रकार है–

अप्रैल 2025–107 HRS; मई 2025–74.30 HRS; जून 2025–27.40 HRS; जुलाई 2025–2.20HRS AUG 2025–NIL; SEPT 2025 –0.30 HRS

स्मार्ट मीटर ज्यादा खपत दिखा रहा है इसकी लगातार शिकायतें करने पर विभाग द्वारा समाधान हेतु चैक मीटर की लगाने का सुझाव दिया, चैक मीटर लगवाने हेतु आवश्यक शुल्क भी हमारे द्वारा दिनांक 07.07.2025 को रसीद संख्या–06 पुस्तक संख्या–041126 द्वारा जमा करवाई गई और हमें बताया कि चैक मीटर की विधुत खपत दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी होगी, विभाग द्वारा दिनांक 17.07.2025 को चैक मीटर स्थापित किया गया दिनांक 14.08.2025 को चैक मीटर KVAH खपत क्रमशः 2576 एवं व स्मार्ट मीटर की KVAH खपत 27840 पाई गई, स्मार्ट मीटर में KVAH खपत 1080% अधिक पाई गई, जिससे हमारा ये शक कि स्मार्ट मीटर तेज चल रहा है बिलकुल सही पाया गया, और इसकी पुष्टि विभाग द्वारा लगाए गए चैक मीटर द्वारा भी हो गई। अतः नियमानुसार विभाग को हमारे चैक मीटर के अनुसार बिल सुधार विभाग द्वारा किया किया जाना चाहिए यह मैंने दिनांक 27.10.25 को चैक मीटर की खपत के आधार पर बिलों को संशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र विभाग को Speed Post द्वारा भी भेजा था।

परंतु अत्यंत अफसोस की बात है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने द्वारा लगाये चैक मीटर की खपत के हिसाब से बिलों में सुधार न कर, नित्य नए प्रपंच कर हमें आर्थिक व मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जा रहा है। विभाग द्वारा बिलो को ठीक न कर नए नए प्रपंच किये जा रहे है विभाग का ये तरीका अत्यंत अशोभनीय और निंदनीय है। चैक मीटर विभाग द्वारा ही लगाया गया था।

महोदय तथ्य यह भी है कि अगर चैक मीटर कि खपत अधिक पाई जाती है तो विभाग द्वारा अधिक रीडिंग के हिसाब से ही बिल बनाया जाता है। अतः इस वाद से सम्बंधित विभाग के उत्तर हमें अस्वीकार है। (महोदय उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य खनिज जिले बागेश्वर में माइनिंग गतिविधियों में स्थगन आदेश देने के कारण, हमारी इकाई में कच्चे माल के न होने की वजह से उत्पादन लगभग बंद था, अतः विद्युत खपत भी अत्यधिक कम थी) स्मार्ट मीटर से सम्बंधित शिकायतों को हमने हर स्तर पर उठाया गया है, उधोग मित्र की बैठकों में भी यह विषय प्रमुखता से उठाया गया है जिसकी प्रति हमने अपनी मूल शिकायत में भी आपके अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर रखी है, विभाग द्वारा लगातार विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श का आश्वासन दिया जाता रहा है, जिससे साबित होता है कि विभाग भी स्मार्ट मीटर कि कार्यप्रणाली से अभी अनिभिज्ञ ही है।

दिनांक 14.01.2026 को विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता महोदय द्वारा भी कार्यदायी संस्था को विशेषज्ञ बुला कर स्मार्ट मीटर की अत्यधिक खपत आने का निराकरण करने को कहा गया था अतः स्मार्ट मीटर से सम्बंधित विभाग के कथन हमें अस्वीकार है। महोदय आपसे निवेदन है की हमारे बिलों को चैक मीटर के अनुसार ठीक करने का विभाग को आदेश देने की कृपा करे। और जब तक स्मार्ट मीटर से सम्बंधित पूर्ण जानकारी विभाग के अधिकारियो को न हो और विशेषज्ञों से विचार विमर्श न हो तब तक हमारे यहां दिनांक 03.05.2025 से पूर्व का मीटर लगवाने का आदेश करे और हमारा मानसिक व आर्थिक उत्पीड़न रोकने की कृपा करे।

8. प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी के संयोजन पर स्मार्ट मीटर स्थापित करने के बाद बिल में बढ़ोत्तरी एवं चैक मापक स्थापित करने के बाद आए अंतर से उत्पन्न हुए विवाद का है। विभाग ने दिनांक 17.07.2025 को परिवादी के स्मार्ट मीटर (0.2S क्लास) के सापेक्ष 0.5 S क्लास का चैक मापक स्थापित किया। इस मीटर जांच को 14.08.2025 को फाईनल किये जाने पर दोनों मापको की खपत में भारी अंतर पाया गया। हालांकि विपक्षी ने पुनः परिवादी के मीटर की जांच पुनः M/s YMPL (NABL Accreditated agency) द्वारा करवायी तथा स्मार्ट मीटर 0.2 S के सापेक्ष 0.2 S क्लास के स्मार्ट मापक से पुनः परिवादी के मेन मीटर की जांच करवायी गयी, जिसमें दोनों मापकों की खपत निर्धारित स्वीकार्य सीमा के भीतर ही पायी गयी।

मंच के मत में परिवादी के मीटर की शुद्धता जांच के लिए पहली बार जो चैक मापक लगाया गया वह परिवादी के स्मार्ट मापक की तुलना में कम सटीकता का था जिससे दोनों मीटरों की रीडिंग में यह अंतर परिलक्षित हुआ। परिवादी ने अपने केस के समर्थन में UPCL के दो आदेश क्रमशः No- 1211/C'(C&P)/58/2022–2023/AMISP, दिनांक 08.08.2025 एवं 740/EPC'RDSS'(DDN)/UPCL/SMP/2025, Date 06.05.2025 का भी उल्लेख किया है।

9. पत्रावली के सम्पूर्ण अवलोकन के पश्चात मंच इस मत का है कि अलग सटीकता श्रेणी का मीटर स्थापित किये जाने की परीक्षण खण्ड की भूल के कारण परिवादी को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता, जबकि विपक्षी ने इस भूल को सुधार करते हुए पुनः समान सटीकता श्रेणी का चैक मापक स्थापित कर दिया हो। जहां तक परिवादी के बिल में बढ़ोत्तरी का सवाल है तो वह पावर फैक्टर निर्धारित श्रेणी से कम होने के कारण हुआ है। पावर फैक्टर को निर्धारित सीमा में रखे जाने की जिम्मेदारी उपभोक्ता की है। अतः इस मंच से परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। जहां तक बकाया वसूली का संबंध है प्रस्तुत प्रकरण में विपक्षी के स्तर पर गलत चैक मीटर स्थापित किये जाने से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसके लिए परिवादी का कोई दोष नहीं है। जबकि परिवादी ने मंच के आदेश पर बकाया राशि में एक लाख रुपये का भुगतान किया है तथा समस्त Current बिलों का भुगतान भी कर रहा है। अतः परिवादी से विलम्ब भुगतान अधिभार लिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

परिवादी की चैक मापक समायोजन मांग को खारिज किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी पर वर्तमान तक लगाया गया समस्त विलम्ब भुगतान अधिभार हटाते हुए बिल की राशि वसूली जाये। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/08/2026

22/08/2026 | | 22/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–22/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम:– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्या कि)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–82/2026
पंजीकरण तिथि:–12.06.2026
निर्णय की तिथि:–22.08.2026

श्री पंत पत्नी स्व0 श्री भुवन चंद्र पंत, परिवादी
हल्दूचौड़ जग्गी, तहसील लालकुआँ,
जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:–प्रार्थीनी का माह दिसंबर 2025 में बिजली का बिल अन्य माहों के देयकों से अत्यधिक बढ़कर लगभग रू० आठ हजार से अधिक आया है। महोदय को अवगत कराना है कि प्रार्थीनी के बिजली का बिल विगत माहों में लगभग रू0 300 से लेकर 700 से अधिक कभी भी नहीं आया था। प्रार्थीनी द्वारा द्वारा अत्यधिक बिल आने के पश्चात चैक मीटर हेतु ऑनलाईन तथा ऑफलाईन माध्यम से कार्यालय विद्युत वितरण उपखण्ड (ग्रामीण), लालकुआं में आवेदन किया गया था, जिसके क्रम में माह जनवरी–फरवरी 2026 में विभाग द्वारा संबंधितों को चैक मीटर लगाने हेतु भेजा गया, किंतु मीटर में रिडींग न होने के कारण चैक मीटर की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पाई। प्रार्थीनी उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना चाहती है कि विगत माहों से मीटर में किसी भी प्रकार की रीडींग प्रदर्शित नहीं हो रही है। जिस संबंध में मीटर रीडर को मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया जाता रहा था परंतु मीटर रीडर व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह एक अनुमानित रीडींग लेकर एक निश्चित राशि का बिल प्रार्थीनी को थमाया जा रहा है। महोदय, अत्यधिक बिल होने के कारण प्रार्थीनी देयक भुगतान करने में असमर्थ रही जिस कारण विभाग द्वारा प्रार्थीनी का कनेक्शन काट दिया गया, जिस क्रम में प्रार्थीनी द्वारा रू0 3500 की एममुश्त धनराशि विभाग को जमा

करनी पड़ी। जिसके उपरात विभाग द्वारा विद्युत कनैक्शन पुनः जोड़ा गया। प्रार्थीनी द्वारा उपरोक्त समस्या से उप–खण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड (ग्रामीण), लालकुआ को कराया गया, जिसके क्रम में उनके द्वारा संबंधितों को एमआरआई मीटर से जांच किए जाने हेतु निर्देशित किया गया किंतु एमआरआई मीटर से भी मीटर में रिडींग न होने के कारण विभाग जांच कर पाने में असमर्थ रहा। प्रार्थीनी आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहती है कि माह जनवरी–फरवरी 2026 में जब चैकमीटर की कार्यवाही मीटर खराब होने के कारण पूर्ण नहीं हो पाई थी तो किस प्रकार मीटर रीडर द्वारा अनुमानित रिडींग लेकर बिल भुगतान हेतु प्रेषित किया जा रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रार्थीनी की उक्त समस्या का निराकरण करते हुए अत्यधिक विल के भार से भारमुक्त करने की कृपा करेंगे।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांक 20.06.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत मे कहा गया है की उनक द्वारा चेक मापक हेतु आवेदन किया गया था, परन्तु को मापक नहीं लगाया गया है। उपभोक्ता का मापक चेक करने पर पाया गया की पुराना मापक **DISHPLAY WASH** है, उसमें रीडिंग नहीं दिखाई दे रही है। उपभोक्ता का मापक बदलने हेतु मापक परिक्षण खंड, हल्द्वानी को कहा गया है, जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह के भीतर मापक बदलने का समय की माग की है।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र दिनांक 27.06.2026 को कहा गया है कि उपभोक्ता से उनका मापक बदलने हेतु दूरभाष पर संपर्क किया गया है तीन दिन के अंतराल मे खराब मापक को बदल दिया जायेगा। क्यूंकि उपभोक्ता का मकान बंद रहता है जिस कारण से ससमय खराब मापक को बदलना संभव नहीं हो पाया था। उपभोक्ता का मापक बदलने हेतु मापक परिक्षण खंड, हल्द्वानी को कहा गया है, जिसमें उनके द्वारा तीन दिन के भीतर मापक बदलने का समय की माग की है। अतः मा० फोरम से निवेदन है उक्त वाद मे तिथि विस्तार करने का कष्ट करें।
4. पक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 03.08.2026 में अपने पत्र के माध्यम से कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर उनका खराब मापक को दिनांक 27.06.2026 को बदल दिया गया है। माह 08/2026 में 06.08.2026 के बाद सीलिंग फीड होते ही समस्या का निस्तारण कर दिया जायेगा।
5. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 21.08.2026 को को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:– वादी के संयोजन संख्या 41801011886 के सापेक्ष बिल सुधार कर लिया गया है जो कि अग्रिम आवश्यक कार्यवा हीतु सादर संलग्न कर प्रेषित है।
6. दिनांक 21.08.2026 को मंच में सुनवाई तिथि नियत की गई थी। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे, विपक्षी उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा बताया गया कि परिवादी को 6672.74 रुपए का समा जोन प्रदान कर दिया गया है। वर्तमान में परिवादी पर 4064.26 मात्र का बकाया है।
7. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिल लेजर की प्रति से स्पष्ट है कि परिवादी को आई0डी0एफ0 के आधार पर उचित समायोजन प्रदान कर दिया गया है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरूप वाद निस्ता रित किये जा योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.08.2026

22/08/2026		22/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–87/2026
पंजीकरण तिथि–25.06.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

मै0 तिवारी मिनरल्स
एन0सी0 तिवारी
लामाचौड़, कमलुवागांजा
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि तिवारी मिनरल्स कनेक्शन न० 002206 A/c No 40100193592 के प्लांट को किराए पर लेकर आरून माइक्रोन्स चला रहा है। महोदय को हम महीने के औसत बिल से अधिक आने के बारे में अवगत करा रहे है कि हमारा बिल महीने का 250000 से 300000 रु० तक आता था। अभी हमारा 3 महीने का बिल एक साथ आया वह भी हर महीने बिल से 150000 रु०/– अधिक आया है ये जब से स्मार्ट मीटर लगा है। स्मार्ट मीटर 19.03.2026 को लगा है जिसकी संख्या रीड 398398 है।

महोदय को अवगत करा रहे है कि हमने अभी नया काम स्टार्ट किया ही है और इस प्रकार से बिना कारण के अधिक बिल आ जाने पर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहन कर पायें। पुराने बिलो में हमारा पावर फैक्टर 0.98 से 0.99 आ रहा है। उसी तरह से नए स्मार्ट मीटर में भी 0.98 से 0.99 आ रहा है। और Power Unit Consumption Average 25000 se 28000 units आता था, अभी स्मार्ट मीटर से आया बिल Average 56067 units दिखा रहा है। जो कि हमारी PRODUCT COST और महीने के खर्चे को पूर्ण रूप से सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है।

महोदय से अनुरोध है कि हर महीने के औरात बिल से अधिक बिल से रुपए आए है उसे कम कराया जाए व 3 महीने के साथ बिल को पार्ट में जमा कराने कि स्वीकृति दी जाए।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 06.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा की विद्युत संयोजन संख्या–390k000002206 .है। उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत भार से अधिक विद्युत भार प्रयोग किया जा रहा है। रीडिंग हिस्ट्री तथा बिलिंग हिस्ट्री संलग्न है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 09.07.2026 में कहा गया है कि आपने जो बिल की हिस्ट्री भेजी है उसमें साफ–साफ दिखाई दे रहा है कि Average Unit consumption 25000 se 26000 units आ रही है. पिछले October 2025 से May 2026 तक March 2026 और April 2026 तक का एक साथ बिल 29.05.2026 को Rs-8,64,894/– का बिल बना वो भी विभाग के 20 चक्कर लगाने के बाद मिला था। अब मई और जून माह के बिल आ गए वो भी बिना अधिभार के पुराने बिलो में हमारा पावर फैक्टर 0.98 से 0.99 आ रहा है। उसी तरह से नए स्मार्ट मीटर में भी 0.98 से 0.99 आ रहा है। परन्तु March और April 2026 के बिल में 0.54 दिखा रहा है। एक साथ बिल आने पर हमें ना समझने का, ना सुधार ने का मौका मिला कि हमारे प्लान्ट में कुछ कमी है। महोदय को अवगत करा रहे हैं कि हमने अभी नया काम स्टार्ट किया ही है और इस प्रकार से बिना कारण के अधिक बिल आ जाने पर हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम वहन कर पायें। महोदय से सविनय अनुरोध है कि हर महीने के औसत बिल से अधिक बिल से रुपए आए है उसे कम कराया जाए।
4. मंच द्वारा, वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रत्यक्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

 मंच द्वारा, सुनवाई के दौरान विपक्षी को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के मापक की MRI रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत करें तथा शिकायत के निस्तारण तक संयोजन विच्छेदित नहीं किया जाये एवं परिवादी से Current Bill लेते रहें।
5. मंच द्वारा, सुनवाई हेतु पुनः दिनांक 24.07.2026 की तिथि नियत की गयी। परिवादी सुनवाई में उपस्थित रहे। विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता (परीक्षण खंड), सहायक अभियंता (मापक) एवं सहायक अभियंता (राजस्व) उपस्थित हुये।

 सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा, फरवरी माह का बीजक प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व मीटर में P.F- 0.98 था, विपक्षी ने MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि April 2026 से June 2026 तक P.F- 0.99, 0.99, 0.99 एवं 0.98 आ रहा है। मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को निर्देशित किया गया कि परिवादी के पुराने मापक की MRI रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए दिनांक 07.08.2026 पूर्वाहन 11:00 बजे तक अपनी विस्तृत आख्या मंच में प्रस्तुत करें।
6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या(कार्यालय ज्ञाप) दिनांक 07.08.2026 में कहा गया है कि "उपभोक्ता मै० तिवारी मिनरल्स प्रो० एन०सी० तिवारी, लामाचौड, कमलुवागांजा, हल्द्वानी (के०एन०ओ०–390K000002206, विद्युत भार–75 कि०वा० /89 के०वी०ए०) को माह 04/2026 पुराना मापक बदल कर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। विद्युत बिल में प्रविष्ठ पुराने मापक की रीडिंग तथा पुराने मापक की एम०आर०आई० रिपोर्ट की

रीडिंग मे अन्तर आ रहा है । उपभोक्ता के बिल का पुनर्निरीक्षण कर नेपर रु0 285885.00 का अधिक बिल प्रेषित हुआ है। अतः उक्त उपभोक्ता के बिल से रु0 285885.00 घटाने के आदेश पारित किये जाते हैं।"

7. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 19.08.2026 में कहा गया है कि" We are satisfied with the CGRF action, hence we request please close the case." साथ ही मंच की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा है कि "पत्रांक–686/C.G.R.F./Hld./Case No-87/2026–27 में आपकी विभागीय कार्यवाही से संतुष्ट है। महोदय व C.G.R.F. की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।"

8. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या(कार्यालय ज्ञाप) दिनांक 06.08.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का निराकरण कर दिया गया है जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र (दिनांक 19.08.2026) से की गयी है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिखाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

21/08/2026		21/08/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

		21/08/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–90 / 2026
पंजीकरण तिथिः–02.07.2026
निर्णय की तिथिः–04.08.2026

नरेश चन्द्र पाण्डेय, परिवादी
फुलचौड़, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता, विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड,
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0,
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– It has been more than one month since I submitted my connection request, but even the estimate for it has not been approved yet. In a big city like Haldwani, where connections are usually provided by the very next day in most cases, it has already been over a month in my case and I still do not know how many more days it will take just to get the estimate approved. I request you to kindly look into this matter on priority and resolve the issue. Please inform me why my connection is getting delayed and by when the estimate will be approved and the connection installed. Looking forward to your immediate action and response.
2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र दिनांकित 14.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री नरेश चन्द्र पाण्डेय, द्वारा दिनांक 30 मई 2026 को अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन किया गया था, जिस पर अवर अभियंता द्वारा दिनांक 19 जून 2026 को निरीक्षण आख्या लगायी गई एवं पाया गया कि उपभोक्ता का परिसर से पोल की दूरी लगभग 130 मीटर है जिसे 20 जून 2026 को स्वीकृत कर दिया गया परंतु अस्थाई संयोजनों में, जिनमें दूरी 40 मीटर से अधिक र उनका प्राकलन स्वीकृत होने में 20 जून से 7 जुलाई 2026 तक का समय लगा है, एवं उपभोक्ता का प्रकरण 7 जुलाई 2026 को आवेदन स्वीकृत हो गया है, जो उनके स्तर पर भुगतान हेतु लंबित है। अतः उक्त सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 17.07.2026 को अपनी आपत्ति में कहा गया है कि "Regarding my application for a temporary electricity connection, I am unable to understand the estimate of ₹86,000 that has been prepared by the department. On the UPCL website, in the PDF of charges, it only mentions a security amount of ₹2500-3000. So it is very difficult for me to understand and accept this estimate."

4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 31.07.2026 को आपनी आख्या में कहा गया है कि:–उपभोक्ता श्री नरेश चन्द्र पाण्डे, फूलचौड हल्द्वानी जिला नैनीताल द्वारा आवेदित अस्थायी संयोजन सं0–470060626015 के सापेक्ष इस कार्यालय से रू0 86486 का माँग पत्र प्रेषित किया गया था, जिस पर उपभोक्ता के स्तर पर प्रेषित प्रत्यावेदन के सापेक्ष उन्हें अस्थाई संयोजन से संबंधित मांग पत्र में लिखित धनराशि के संबंध जानकारी दे दी गयी। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 31.07.2026 को अवगत कराया गया है कि उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अब उनके द्वारा स्थायी संयोजन आवेदन किया जायेगा। एवं उन्हे अस्थाई संयोजन की आवश्यकता अब नहीं है। अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. प्रकरण पर सुनवाई हेतु 04.08.2026 की तिथि नियत की गई। सुनवाई में परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी उखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए।

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 31.07.2026 पर परिवादी द्वारा ना तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की गई और ना ही वह सुनवाई में उपस्थित हुए। परिवादी ने विपक्षी के मांग पत्र के सापेक्ष निर्धारित धनराशि भी जमा नहीं कराई है। अतः यह माना जा सकता है परिवादी विपक्षी की आख्या से संतुष्ट है। उपरोक्त चर्चा के बाद इस वाद को आगे चलाये जाने का कोई औसत्य नहीं है तथा वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04.08.2026

04/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

04/08/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–04.08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

04/08/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला– नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–92 / 2026
पंजीकरण तिथिः–03.07.2026
निर्णय की तिथिः– 03.08.2026

रिशु अग्रवाल, परिवादी
डालाकोटी मिनरल्स एंड केमिकल्स,
जीतपुर नेगी, रामपुर रोड़,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कार पोशेन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– हम आपका ध्यान हमारी औद्योगिक इकाई **M/s Dalakoti Minerals Chemical** (खाता संख्याः 40100069905, श्रेणीः **RTS&7 HT Industry Above 75KW**) के लिए जारी किए गए विद्युत बिल संख्या 470260506000325 (बिल दिनांक 08 / 05 / 2026, बिलिंग अवधि 01 / 03 / 2026 से 30 / 04 / 2026) की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। यह पत्र विभाग द्वारा की जा रही भारी लापरवाही और अनुचित बिलिंग के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत है। हम इस बात से अत्यंत व्यथित हैं कि हमारे द्वारा लगातार सूचित किए जाने के बावजूद विभाग द्वारा हमारे विद्युत बिल में व्याप्त गंभीर त्रुटियों का निवारण नहीं किया गया है। अतः हम इस त्रुटिपूर्ण बिल का भुगतान 'अंडर प्रोटेस्ट' (Under Protest) यानी भारी विरोध के साथ कर रहे हैं, ताकि हमारी इकाई की विद्युत आपूर्ति बाधित न हो और हमारा उत्पादन प्रभावित न हो। हमारे विरोध के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

I. त्रुटिपूर्ण पावर फैक्टर (Power Factor) एवं बिलिंग अनियमितताः हमारी इकाई में पावर फैक्टर पूरी तरह से संतुलित और सही चल रहा है। इसके बावजूद यूपीसीएल (UPCL) द्वारा हमारे बिल में

जानबूझकर गलत पावर फैक्टर (0.52) दर्शाया गया है, जिसके कारण बिल में "Fixed / Demand Charges for Excess Load" के रूप में ₹12,488.62 और कुल देय राशि ₹3,37,411.00 की अनुचित पेनाल्टी व अतिरिक्त चार्ज जोड़ दिए गए हैं। यह सीधे तौर पर हमारी इकाई पर वित्तीय बोझ डालने की अनुचित कोशिश है।

II. पूर्व सूचना और विभागीय उदासीनता: इस तकनीकी गड़बड़ी और गलत बिलिंग के संबंध में हमारे द्वारा पूर्व में भी आपके कार्यालय को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, दूरभाष (टेलीफोन) के माध्यम से आपके क्षेत्र के एसडीओ) और विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों को भी बार–बार सूचित किया गया। अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वे स्वयं आकर जांच करेंगे, परंतु लंबे इंतजार के बाद भी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जांच के लिए नहीं पहुंचा, जो की उदासीनता को दर्शाता है।

III. बिल संशोधन और समायोजन की मांग: हमारी मांग है कि विभाग द्वारा हमारे इस न्यायसंगत अनुरोध पर तुरंत सुन जाए, इस पूरे मामले की निष्पक्ष तकनीकी जांच कराई जाए, बिल को तत्काल संशोधित किया जाए और इस त्रुटिपूर्ण बिल कारण वसूली जा रही अतिरिक्त राशि को भविष्य के बिलों में समायोजित (Adjust/Amortize) किया जाए।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि विद्युत संयोजन संख्या **390K000000687** (198 के०वी०ए०) रिशु अग्रवाल डालाकोटी मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स, जीतपुर नेगी, रामपुर रोड, हल्द्वानी के नाम से संचालित है।

- यह कि उपभोक्ता का बिल माह 04/2026 मे MU के आधार पर निर्गत किया गया है। (संलग्नक)।
- त्रुटिपूर्ण पावर फैक्टर– यह कि उपभोक्ता के परिसर मे स्मार्ट मीटर स्थापित है। उपभोक्ता के बिल की जाँच करने पर

 - KWH Consumption 104.366-64.395= 39.971 X 300=11991.23
 - KVAH Consumption 193.204-116.121=77.083 X 300 =23124.90
 - PF=11991.23/ 23124.90 =0.52 प्रदर्शित हो रहा है।

- **अधिकतम डिमान्ड चार्जेज**–यह कि उपभोक्ता के परिसर मे स्मार्ट मीटर स्थापित है। उपभोक्ता के बिल से प्राप्त डिमान्ड की जाँच करने पर 0.711 X 300=213.30 प्रदर्शित हो रहा है। (संलग्नक)।

अतः उपभोक्ता को रीडिंग के आधार पर ही बिल निर्गत किये जा रहे है। सादर सूचनार्थ।

3. उभय पक्षों की उपस्थिति में दिनांक 24.07.2026 को मंच में सुनवाई की गई। सूनवाई में परिवादी स्वयं उपस्थित रहे। विपक्षी की ओर से अधिशासी अभियंता (परीक्षण खण्ड), सहायक अभियंता (मीटर), एवं सहायक अभियंता (राजस्व) उपस्थित रहे। परिवादी ने लो पावर फैक्टर एवं अतिरिक्त भार पर लगी पेनाल्टी पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसके लिए वह दोषी नहीं हैं। स्मार्ट मीटर लगने के

बाद से ही यह समस्या आ रही है। पक्षी प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया कि परिवादी को वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर ही उचित टैरिफ के अनुसार बिल प्रदान किए गए हैं। पावर फैक्टर सही बनाये रखना उपभोक्ता का दायित्व है।

4. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एव पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी को भेजे गए बिलों में लो पावर फैक्टर एवं अतिरिक्त डिमांड चार्जेज को निरस्त कर भविष्य के बिलों में समायोजित करने की मांग पर यह मंच कोई अनुतोष प्रदान नहीं कर सकता। विपक्षी द्वारा परिवादी को भेजे गए बीजक माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेशों के तहत ही निर्गत किए गए हैं। अतः वाद खरिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वय वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्राव लीखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 03 .08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः– 03 .08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–95/2026
पंजीकरण तिथिः–07.07.2026
निर्णय की तिथिः–21.08.2026

दीपक कुमार पुत्र स्व0 अशोक, परिवादी
ट्रान्सपोर्ट नगर, रामपुर रोड़,
बी0ए0डी0, ब्लाक शॉप नं0–01,
हलद्वानी जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः— मैं दीपक कुमार उपभोक्ता संख्याः–**396T604115892** का विद्युत उपभोक्ता हूं। मेरे विद्युत कनेक्शन का B.A.D ब्लॉक दुकान संख्या–01, ट्रांसपोर्ट नगर का पता है। मेरा विद्युत का बिल आई0डी0एफ0 में 18.05.2026 से 22.06.2026 तक का (32056 कुल) रू 11324 रूपय बना दिया गया है तथा पिछला बिल 20732 का बना दिया गया हैं तथा कृपया करके इन दोनों को ठीक करने की कृपा करें ताकि मैं समय से इसे जमा कर सकूं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का मापक खराब है, उपभोक्ता का मापक बदलने हेतु पत्रांक संख्या–696, दिनांक 08.07.2026 से सहायक अभियंता (मापक) विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला खण्ड हल्द्वानीं को उपभोक्ता का मापक बदलने हेतु अग्रसारित किया गया है। मापक बदलने के पश्चात अग्रिम कार्यवाही कर दी जाएगी। अतः उक्त सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3 विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 29.07.2026 को अपनी आख्या में कहा गया की उपभोक्ता श्री दीपक कुमार पुत्र स्व० श्री अशोक, ट्रान्सपोर्ट नगर, रामपुर रोड, बी०ए०डी०, ब्लाक शॉप नं0–01, हल्द्वानी जिला–नैनीताल मो० न०–7668225044, द्वारा बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके सापेक्ष दिनांक 23.07.2026 को नया मापक लगा दिया गया है। पुराने बिलों का औसत सही नही होनें के कारण संशोधन कर पाना सम्भव नही है। नया बिल बनते ही उपभोक्ता का गलत बिल संशोधित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया जायेगा है।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा पुनः दिनांकित 20.08.2026 को एक अन्य आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता श्री दीपक कुमार पु स्व० श्री अशोक, ट्रान्सपोर्ट नगर, रामपुर रोड, बी०ए०डी०, ब्लाक शॉप नं० –01, हल्द्वानी जिला–नैनीताल मो० न०–7668225044, द्वारा बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उपभोक्ता के पुराने, IDF बिलों को नये मापक के औसत उपभोग से संशोधित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है।
5. दिनांक 21.08.2026 को मंच में सुनवाई की तिथि नियत की गई। परिवादी सुनवाई में अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखंड अधिकारी उपस्थित हुए। विपक्षी द्वारा कहा गया कि परिवादी का बीजक संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के बाद परिवादी पर 23372.70 रुपया बकाया है। सुनवाई के समय ही परिवादी को भी दूरभाष के माध्यम से सुना गया। जिन्होंने विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि वह संशोधित बीजक से संतुष्ट है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्ट व्यक्त किए जाने की फलस्वरुप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21.08.2026

21/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/26
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–21.08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–96/2026
पंजीकरण तिथि–14.07.2026
निर्णय तिथि–04.08.2026

चंदन सिंह नेगी — परिवादी
मकान नंबर–114 ए
शक्ति नगर, वार्ड नंबर–49,
तल्ली बमोरी, बंदोबस्ती
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I would like inform to you that Meter No-80388176 & Account No 41802291262 Mrs. Kamal Negi highly electric consumption show last month I am sharing last month invoice details for comparison deb to same equipment use at home. Please check my meter reading and revise invoice .

Month	Amount	Status
Mar-26	1659	Paid
April-26	2272	Paid
May-26	1791	Paid
June-26	2538	Show unpaid
July-26	4639.80 + 2538	Total 7205 (if add last Mount amount)

I do not understand how the July month amount of 4639.80 is possible when the same equipment is used at home. Please recheck my meter reading and revise my Invoice."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 30.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत संयोजन संख्या–391E112165214 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ है कि माहवार सभी बिल बने हैं, सभी विद्युत बिल MU से बने हैं एवं वर्तमान माह में पूर्व माह से अधिक विद्युत उपभोग होने के कारण बिल अधिक हैं।

3. विपक्षी की आख्या की प्रति परिवादी को दिनांक 04.08.26 तक आपत्ति/संतुष्टि व्यक्त करने हेतु भेजी गयी, परन्तु परिवादी ने कोई भी आख्या मंच में प्रस्तुत नहीं की।
4. दिनांक 04.08.26 को संबंधित उपखण्ड अधिकारी मंच में उपस्थित हुए। उनके द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि सभी बीजक वास्तविक मीटर रिडिंग पर ही बनाये गये हैं।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि प्रत्येक बिल चक्र में मीटर यूनिट के ही बनाये गये हैं अतः वास्तविक यूनिट पर बने बीजकों में संशोधन नहीं किया जा सकता। परिवादी को यदि मीटर तेज चलने की आशंका है तो वह अपने मीटर की शुद्धता जांच हेतु विपक्षी के कार्यालय में चैक मापक हेतु आवेदन कर सकता है। वास्तविक मीटर रीडिंग के बिलों में मंच से कोई संशोधन आदेश पारित नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–97 / 2026
पंजीकरण तिथि–14.07.2026
निर्णय तिथि–03.08.2026

राजेन्द्र पीडी0 टम्टा
एम.डी. हेरिटेज होम
नित्यानंद विहार, रामपुर रोड
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1.परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I have received a bill of Rs. 7109/- for June 2026. I have installed a 5 kW hybrid rooftop solar system in May 2026. It started working last week in May 2026. As per the Grid record till date my solar system has Exported a total of 0.62 MWh and Imported only 0.17 MWh. Thus, there is a positive balance of 0.45 MWh with me. The Bill is showing 0 (Zero) exported units as per your record.I am attaching herewith both the bill and a scanned image of the grid position on the date for your reference and necessary action. Kindly arrange to rectify the error in your system and regenerate the correct bill accordingly at the earliest."

2.विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री राजेन्द्र पीडी0 टम्टा, एम.डी. हेरिटेज होम, नित्यान्नद विहार रापपुर रोड हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, द्वारा बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उपभोक्ता का बिल संशोधित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

3.परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर / संतुष्टि पत्र दिनांकित 30.07.2026 में कहा गया है कि "Thank you for the quick resolution of my issue. I have paid the revised bill today for Rs.

918/- but I am not able to download or generate the revised bill. Kindly arrange to email me the revised bill."

4.मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—03/08/2026

03/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—03/08/2026

03/08/26

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

समक्ष 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–100/2026
पंजीकरण तिथि–20.07.2026
निर्णय तिथि–22.08.2026

राजेन्द्र प्रसाद पालीवाल — परिवादी
सावित्री कालोनी
बरेली रोड़, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि:– निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2026 को मेरे घर से मेरा पुराना मीटर हटा कर नया स्मार्ट मीटर मेरी अनुपलब्धता पर लगा दिया गया। दिनांक 04.07.2026 को जब मेरा बिजली बिल आया तो 23000/–रूपये का बिल मुझे मिला। महोदय, मैने हर माह दी गयी रिडिंग के आधार पर बिजली बिल का भुगतान किया है, फिर क्यों मेरा बिजली बिल इतना ज्यादा कर दिया गया है। विभाग में शिकायत दर्ज की तो विभाग बोलता है आपकी पुरानी रिडिंग पैंडिंग है, श्रीमान जब मैंने दी गयी रिडिंग के आधार पर बिजली बिल का भुगतान किया है तो ये कौन सी पैंडिंग रिडिंग है। महोदय मैं एक साधारण नौकरी पेशा आदमी हूँ जिसे रूपया 15000.00/माह सैलरी मिलती है। मैं 15000 में बच्चे पालूं या बिजली का जबरदस्ती थोपा गया 23000/रुपया बिल भुगतान करुं। श्रीमान मेरी मानसिक स्थिति बेटी के कारण ठीक नहीं है। मैं ये बिल भुगतान करने में असमर्थ हूँ कृपया मेरी समस्या का समाधान किया जाए मेरा पुराना पैंडिंग रीडिंग पूरी तरह माफ किया जाए।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 25.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर माह 05/2026 को स्मार्ट मापक स्थापित हुआ है। उपभोक्ता के माह 06/2026 का बिल 2772 यूनिट का निर्मित है, जिसमें 211 यूनिट नये मापक एवं 2561 (35515–32954) यूनिट पुराने मापक के अवशेष है। मापक परिवर्तन के समय उपभोक्ता के पुराने मापक की अन्तिम रीडिंग 35515 है, जिसकी पुष्टि हेतु सीलिंग एवं मापक की अंतिम रीडिंग की फोटोग्राफ संलग्न हैं।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.07.2026 में कहा गया है कि "Sir maine her mahine vibhaag dwara di gayi reading ke anusar apna bizli bill pad kiya hai .fir ye kis baat ki purani reading dikha raha hai mujhe pata nahi hai .main ek 15000 mahina naukri paisa aadmi hu isi tankhaa main rashan pani fees anya kharche karne hote hai .main sirf mahine ka bill he de paaunga main extra jo purani reading mujhe pe thopi gayi hai use nahi de paaunga .kripya meri madad kare vibhaag dhanyawad."
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। मंच द्वारा विपक्षी को निर्देशित किया गया कि परिवादी के पुराने मापक की MRI रिपोर्ट 14.08.2026 तक प्रस्तुत करे तथा प्रकरण के अंतिग निर्णय तक परिवादी का संयोजन विच्छेदित न करे। विपक्षी ने दिनांक 14.08.2026 को MRI रिपोर्ट हेतु अतिरिक्त समय की मांग की जिसे स्वीकार किया गया तथा दिनांक 19.08.2026 तक MRI रिपोर्ट एवं विश्लेषणात्मक आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
5. दिनांक 19.08.2026 को विपक्षी ने आख्या दी कि परिवादी के पुराने मापक की MRI रिपोर्ट होना संभव नहीं है।
6. दिनांक 21.08.2026 को पुनः सुनवाई की तिथि नियत की गयी। पक्षकार सुनवाई में उपस्थित हुए। मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री के अनुसार दिनांक 25.05.2026 को परिवादी का मापक बदला गया। मापक बदलते समय पुरानी मीटर की रीडिंग 35515 दर्शायी गयी है। इसके पूर्व परिवादी को 06.05.2026 को जो बिल प्रेषित किया गया उस तिथि को मीटर रीडिंग 32954 थी। अर्थात 06 मई से 25 मई के मध्य 19 दिन में 2561 यूनिट (35515 – 32954) की खपत हुई है। जबकि मीटर बदले जाने के बाद नये मीटर से 40 दिन में 25.05.2026 से 04.07.2026 तक 211 यूनिट विद्युत की खपत हुई है। परिवादी ने जुलाई महीने के बिल पर आपत्ति जताई है कि जिसमें 2772 यूनिट (2561 + 211) का बिल जारी किया गया है। हालांकि विपक्षी ने परिवादी के पुराने मापक की फोटो एवं सीलिंग प्रमाण पत्र मंच में प्रस्तुत किया है परन्तु 19 दिन में 2561 यूनिट की खपत अथवा मीटर रीडर द्वारा रीडिंग रोके जाने संबंधी प्रमाण के तौर पर विपक्षी MRI रिपोर्ट प्रस्तुत करने में नाकाम रहा है। दो किलोवाट भार के संयोजन पर 19 दिन में 2561 यूनिट की खपत अर्थात लगभग 135 यूनिट प्रतिदिन की खपत को यह मंच स्वीकार नहीं कर सकता। सुनवाई के समय मीटर रीडर द्वारा रीडिंग रोके जाने के तर्क को तकनीकी साक्ष्य के अभाव में यह मंच खारिज करता है। बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि मीटर बदले जाने से पूर्व एवं मीटर बदले जाने के बाद परिवादी की खपत का स्वरूप लगभग समान ही है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर मंच इस मत का है कि परिवादी के जुलाई के बीजक में पुराने मीटर की 2561 यूनिटों के स्थान पर पूर्व के (दिनांक 06.05.2026 से 25.05.2026 तक दिखाई गयी खपत) तीन बिल चक्रों की मासिक औसत खपत के आधार पर यूनिटों की गणना कर संशोधित बीजक जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। परिवादी को दिया गया जुलाई माह का बीजक निरस्त किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह जुलाई माह के लिये

नया बीजक दिनांक 06.05.2026 से 25.05.2026 तक की खपत की गणना 06.05.2026 से पूर्व के तीन बिल चक्रों की मासिक औसत खपत के आधार पर तथा नये मापक की 04.07.2026 तक वास्तविक खपत 211 यूनिटों के आधार पर बिल जारी करे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/08/2026

22/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

22/08/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–22/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–101/2026
पंजीकरण तिथि–22.07.2026
निर्णय तिथि–05.08.2026

राम सिंह
रूपपुर, कालाढूंगी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

विपक्षी

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद श्रीमती रेखा दिगारी द्वारा दायर किया गया है, जो कि स्व0 राम सिंह की पुत्रवधू है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं आपके विद्युत विभाग का एक नियमित उपभोक्ता हूँ। हमारे परिसर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने के पश्चात जनवरी 2026 का विद्युत बिल लगभग ₹26,000 जारी किया गया, जिसे देखकर हमें अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब हमने इस संबंध में विद्युत विभाग से जानकारी प्राप्त की, तब विभाग द्वारा बताया गया कि पूर्व में कुछ विद्युत यूनिटों की रीडिंग शेष रह गई थी अथवा मीटर रीडिंग लेने वाले कर्मचारी द्वारा कम रीडिंग दर्ज किए जाने के कारण यह अतिरिक्त राशि वर्तमान बिल में जोड़ दी गई है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे पूर्व के सभी विद्युत बिलों में "Previous Balance – ₹0" अंकित रहता था। यदि वास्तव में कोई बकाया रीडिंग या राशि लंबित थी, तो उसकी सूचना समय पर दी जानी चाहिए थी। विभाग द्वारा अपनी त्रुटि अथवा कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी हमें लगभग सात माह बाद (जनवरी 2026 से जुलाई 2026) दी गई, जिससे हम गंभीर आर्थिक एवं मानसिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। विभाग की इस लापरवाही के कारण अब हम पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है। साथ ही, इस अवधि का लेट फीस (विलंब शुल्क) भी लगातार जोड़ा जा रहा है, जबकि विलंब हमारी ओर से नहीं, बल्कि विभाग की त्रुटि एवं समय पर सूचना न देने के कारण हुआ है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि:–

(1) इस प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराई जाए।

(2) विभागीय लापरवाही के कारण जो अतिरिक्त राशि जोड़ी गई है, उसका पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) कराया जाए।

(3) जनवरी 2026 से अब तक लगाया गया समस्त लेट फीस/विलंब शुल्क तत्काल निरस्त किया जाए।

(4) यदि वास्तव में कोई बकाया राशि देय पाई जाती है, तो विभागीय त्रुटि को ध्यान में रखते हुए उसका उचित एवं न्यायसंगत समाधान/समायोजन किया जाए, क्योंकि एकमुश्त ₹26,000 अथवा उससे अधिक राशि का भुगतान करना हमारे लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

(5) यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में उपभोक्ता को विभागीय त्रुटि का दुष्परिणाम न भुगतना पड़े।

अतः आपसे अनुरोध है कि हमारी शिकायत पर सहानुभूतिपूर्वक एवं न्यायोचित विचार करते हुए हमें शीघ्र उचित राहत प्रदान करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र के सापेक्ष कंज्यूमर की बिलिंग हिस्ट्री व MRI रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 05.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि MRI रिपोर्ट एवं बिलिंग हिस्ट्री का मिलान किया गया तो पाया गया कि मीटर रीडर ने सही रीडिंग नहीं ली है, क्योंकि MRI रिपोर्ट एवं बिल हिस्ट्री की रीडिंग में प्रत्येक माह अंतर पाया गया है। दिसम्बर 2025 में जब परिवादी के परिसर पर स्मार्ट मीटर लगाया गया तो मीटर रीडर द्वारा पुराने मीटर की रोकी गयी रीडिंग भी स्पष्ट दर्शित होने पर 3469 यूनिट खपत का बिल जारी किया गया है, जो कि परिवादी की वास्तविक खपत है। हालांकि एक ही बिल चक्र में 3469 यूनिट की खपत पर बने बिल के कारण उच्च टैरिफ स्लैब का भार परिवादी पर पड़ा है, जिसे पूर्व के महीनों में विभाजित कर उपभोक्ता को उचित टैरिफ स्लैब का लाभ प्रदान किया जा सकता है।

4. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। MRI रिपोर्ट एवं बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि मीटर रीडर द्वारा लंबे समय तक परिवादी को वास्तविक खपत से कम खपत के बीजक बनाकर दिये गये, जिनका परिवादी निरन्तर भुगतान करता रहा है। MRI रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि मीटर बदलते समय दर्ज 41432 यूनिट परिवादी की वास्तविक खपत है। मंच के मत में दिनांक 06.03.2014 से मीटर बदले जाने की तिथि 26.12.2025 तक की गयी खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुरूप बीजक संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का दिनांक 06.03.2014 से 26.12.2025 तक का बीजक उक्त अवधि में हुई वास्तविक खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए समय-समय पर लागू उचित टैरिफ दरों के आधार पर संशोधित करें। उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा करायी गयी धनराशि को समायोजित किया जावे। इस प्रकार संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा। दिनांक 26.122025 से वर्तमान तक नए मीटर की वास्तविक

खपत पर बने बीजक यथावत रहेंगे परन्तु उन पर लगाया गया विलंब भुगतान अधिभार निरस्त किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05/08/2026

05/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

05/08/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–05/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–102 / 2026
पंजीकरण तिथि–23.07.2026
निर्णय तिथि–04.08.2026

परिवादी

हेमंत गौनिया
हीरा विहार, कैनाल रोड,
मल्ला गोरखपुर, तिकोनिया
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं हेमंत सिंह गौनिया, निवासी हीरा विहार, कैनाल रोड, मल्ला गोरखपुर, तिकोनिया, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, आपके समक्ष यह शिकायत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैंने अधिशासी अभियंता, विद्युत नगरीय वितरण खंड, हल्द्वानी को विस्तृत लिखित शिकायत प्रस्तुत कर स्मार्ट मीटर में असामान्य विद्युत खपत, अत्यधिक बिलिंग, पुराने मीटर की खराबी तथा चेक मीटर लगाकर स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने का स्पष्ट अनुरोध किया था। शिकायत के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न किए गए थे। किन्तु विभाग द्वारा 01.07.2026 को केवल एक औपचारिक पत्र जारी कर यह कह दिया गया कि विभागीय रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं मिली। जबकि वास्तविकता यह है कि–मेरे अनुरोध के बावजूद चैक मीटर नहीं लगाया गया। किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला अथवा सक्षम तकनीकी अधिकारी से मीटर का परीक्षण नहीं कराया गया। मेरे समक्ष किसी प्रकार का निरीक्षण, परीक्षण अथवा पंचनामा नहीं किया गया। मीटर परीक्षण रिपोर्ट, एमडीएमएस डेटा, लोड प्रोफाइल, टेम्पर रिपोर्ट, इवेंट लॉग अथवा अन्य तकनीकी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। विभाग ने शिकायत का गुण–दोष के आधार पर निर्णय देने के बजाय केवल औपचारिक उत्तर देकर मामले को समाप्त करने का प्रयास किया। यह कार्यवाही विद्युत अधिनियम, 2003, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के उपभोक्ता शिकायत निवारण विनियम, तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। एक उपभोक्ता को निष्पक्ष जांच का अधिकार है, जो मुझे अब तक नहीं दिया गया। अतः माननीय मंच से निवेदन

है कि निम्नलिखित आदेश पारित किए जाएँ–मेरे स्मार्ट मीटर की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तकनीकी जांच किसी अधिकृत NABL/मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला अथवा सक्षम तकनीकी समिति से कराई जाए। जांच पूर्ण होने तक विवादित बिजली बिलों की वसूली एवं किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। मेरे परिसर में तत्काल चैक मीटर स्थापित कर वास्तविक विद्युत खपत का परीक्षण कराया जाए। स्मार्ट मीटर का MDMS डेटा, लोड प्रोफाइल, इवेंट लॉग, टेम्पर रिपोर्ट, मीटर परीक्षण रिपोर्ट तथा बिलिंग डेटा उपलब्ध कराया जाए। यदि जांच में मीटर अथवा बिलिंग में त्रुटि पाई जाती है, तो सभी बिजली बिल संशोधित कर अतिरिक्त वसूली गई धनराशि समायोजित/वापस की जाए। मेरी शिकायत पर व्यक्तिगत सुनवाई कर कारणयुक्त (Speaking Order) पारित किया जाए। शिकायत के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर विभागीय कार्यवाही की जाए। इस शिकायत में संलग्न सभी अभिलेखों पर विचार कर नियमानुसार न्यायोचित आदेश पारित किए जाएँ।

विधिक आधार, विद्युत अधिनियम, 2003 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) के उपभोक्ता शिकायत निवारण [illegible] प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Audi Alteram Partem)।

प्रार्थना माननीय मंच से अनुरोध है कि इस मामले की गंभीरता को देख हुए इ [illegible] से प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जाए तथा शीघ्र न्याय प्रदान किया जाए, क्योंकि विभाग द्वारा बिना निष्पक्ष जांच के लगातार अत्यधिक बिल जारी किए जा रहे हैं, जिससे मुझे आर्थिक एवं मानसिक क्षति हो रही है।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दवार उत्तर पत्र दिनांकित 28.07.2026 में कहा गया है [illegible]:कि

(1) उ [illegible] क्तो के परिसर पर माह 12.05.2026 को स्मार्ट मापक स्थापित हुआ है।
(2) उपभोक्ता द्वारा स्मार्ट मापक स्थापित होने के उपरान्त अधिक बिल आने के सम्बन्ध में शिकायत की है। इस सम्बन्ध में नये मापक की रीडिंग सम्बन्धी जाँच हेतु उपभोक्ता को विद्युत खण्ड/उपखण्ड कार्यालय में चैक मापक लगाने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण किया जा सकता है, जिसके उपरान्त मापक की रीडिंग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर विचलन की स्थिति में गणना की जायेगी।
(3) उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक स्थापन से वर्तमान तिथि तक एमडीएमएस डाटा से प्राप्त प्रतिदिन खपत सूचना संलग्न कर प्रेषित है।
(4) उपभोक्ता द्वारा इस कार्यालय को इस सम्बन्ध में की गयी शिकायत के प्रतिउत्तर की प्रति एंव बिलिंग हिस्ट्री की प्रति संलग्न है।

3. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत आख्या की प्रति परिवादी को दिनांक 29.07.2026 को भेजी गई तथा उ [illegible] 03.08.2026 तक प्रतिउत्तर/आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया।
4. परिवादी द्वारा कोई प्रतिउत्तर/आपति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंच द्वारा उक्त वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। परिवादी सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे। विपक्षी उपखंड अधिकारी सुनवाई में उपस्थित हुए।

सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा परिवादी की विस्तृत कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक मीटर रीडिंग (MU) के आधार पर ही बिल भेजे गये हैं, जो कि सामान्य खपत के हैं। परिवादी को मीटर तेज

चल नेकी आशंका हो तो मीटर की शुद्धता जांच हेतु चैक मापक के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवादी द्वारा अपने बिलों के सापेक्ष कभी भी नियमित भुगतान नहीं किया गया है। जिस कारण बीजकों पर विलंब भुगतान अधिभार भी जुड़ रहा है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत परिवादी की विस्तृत कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी बीजक मीटर रीडिंग के आधार पर ही बने हैं। परिवादी द्वारा अपने बिलों का भुगतान दिनांक 19.12.2025, 23.12.2024, 24.02.2024, 14.03.2023 एवं 09.03.2022 में किया गया है। अर्थात परिवादी कभी भी अपने बीजकों का नियमित भुगतान नहीं करता है, जिस कारण विलंब भुगतान अधिभार भी बिलों में लग रहा है। मंच के मत में परिवादी को यदि अपने मीटर तेज चल नेकी आशंका है तो वह विपक्षी के कार्यालय में चैक मापक हेतु आवेदन कर सकता है। वर्तमान शिकायत पर यह मंच वास्तविक मीटर रीडिंग पर जारी बीजकों में किसी प्रकार का संशोधन आदेश पारित नहीं कर सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खा जि किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन क गें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

04/08/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में वा चि, हस्ताक्षरित एवं उद्घो षि।

दिनांकः–04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–104 / 2026
पंजीकरण तिथि–22.07.2026
निर्णय तिथि–04.08.2026

गौरव जोशी
पुत्र स्व0 बसन्त बल्लभ जोशी
टेढ़ी पुलिया, नैनीताल रोड,
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
तिकोनिया, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि निवेदन इस प्रकार है कि मेरा कनेक्शन नं० 40220255788 हैं, मेरा नंवम्बर से बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, और जनवरी के माह, और फिर फरवरी के माह में भी बिल ज्यादा ही आ गया, मेरी मीटर की जनवरी की यूनिट 5522 पाई गई थी, और फिर मैने 'MRI' के लिए Apply करा, और वे लोग जब MRI के लिए आए तो उन्होंने हमसे कहा था output बंद करो, पर तब भी मीटर बहुत तेजी से चल रहा था, और MRI नही हो पाई, उसके बाद check meter लगवाया गया, इसके बाद 14 मार्च से 31 मार्च तक check meter लगा और उसकी 15 दिन की यूनिट 224 पाई गयी थी, और check meter और मीटर में अंतर पाया गया, तब अप्रैल से जून तक के सभी बिल पुरानी यूनिट की तरह ही पाए गए थे, जबकि मार्च में हमारे द्वारा रु 25000.00 जमा करे गए थे, फिर उनके द्वारा कहा गया कि जब नए मीटर का मई और जून का बिल आने पर हम उसके हिसाब से नवम्बर, दिसंबर जनवरी, फरवरी और मार्च का बिल ठीक अथवा कम कर देंगे, अतः मेरा आपसे निवेदन है, कि मेरे सभी बिलों को कम करने की कृपा करें।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 01.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक स्थापन के उपरान्त माह 01.04.2026 की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर मैन मापक 35.11 तेज पाया गया एवं उपभोक्ता का मैन मापक परिवर्तित कर दिया गया (चैक मापक की अंतिम रिपोर्ट संलग्न)। चैक मापक की अंतिम रिपोर्ट, जिसमें मैन मापक के 35.11 तीव्र चलने के आधार पर माह 01.10.2025 से 31.

03.2026 तक की रीडिंग को 35.11 प्रतिशत कम मानते हुए गणना की गयी, जिसे उपभोक्ता के बिल में रू० 32211.00 सी०सी०बी०आर० के माध्यम से कम किया गया है (लेजर एवं गणना शीट की प्रति संलग्न)।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में कहा गया है कि सविनय निवेदन है कि आपके पत्र के माध्यम से हमारे विद्युत कनेक्शन के संबंध में 35.11% फास्ट मीटर पाए जाने के आधार पर ₹ 32,211/– की छूट/समायोजन राशि प्रदान किए जाने की सूचना दी गई है। हम आपके द्वारा की गई 35.11% की छूट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि इस छूट से हमारे पूर्व में हुए अत्यधिक एवं गलत बिजली बिलों का उचित एवं पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है, साथ ही हमें इस संबंध में एम.आर.आई. (MRI) रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके आधार पर मीटर की जाँच एवं फास्ट होने का निष्कर्ष निकाला गया है। अतः बिना एम.आर.आई. रिपोर्ट उपलब्ध कराए केवल सीमित छूट देना उचित प्रतीत नहीं होता। अतः आप से विनम्र अनुरोध है कि–हमें मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट तथा संबंधित जाँच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए। हमारे द्वारा पूर्व में अधिक भुगतान की गई राशि का सही हिसाब लगाकर अतिरिक्त भुगतान की राशि वापस (Refund) की जाए अथवा हमारी सहमति से आगामी बिलों में समायोजित की जाए। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे बिल ना जमा करने पर जो अतिरिक्त शुल्क लगाया जा रहा है, उस शुल्क को लगाना बंद किया जाए। आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारे अक्टूबर से पहले की रीडिंग और बिल की राशि को चैक किया जाए और मार्च के बाद के नए मीटर की रीडिंग व राशि को चैक करने के बाद ही उचित समाधान किया जाय।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार उपस्थित। पक्षकारों के तर्क सुने गये। विपक्षी द्वारा कहा गया परिवादी के मापक की MRI नहीं हो पा रही है, जिससे फरवरी 2026 के बीजक में 5522 यूनिट की खपत एवं MDI 26KW पर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकती। परिवादी द्वारा सुनवाई के समय अपने पुराने मीटर की वीडियो रिकार्डिंग दिखाई गई जिस पर विपक्षी द्वारा यह स्वीकार किया गया कि मीटर वास्तव में बहुत तेज चल रहा है तथा असामान्य व्यवहार कर रहा है। विपक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि चैक मापक स्थापित करते समय भी पुराने मापक में भी इसी तरह की असामान्यता प्रदर्शित हो रही थी।

5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा हालांकि परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित कर समायोजन प्रदान किया गया है परन्तु पुराने मीटर में दिनांक 09.01.2026 से 08.02.2026 के मध्य 5522 यूनिट की खपत दर्शित होने पर MRI की रिपोर्ट के अभाव में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। क्योंकि चैक मापक के अनुसार जब परिवादी का पुराना मापक 35% तेज चल रहा था तो इसकी खपत प्रतिमाह 600 से 1400 यूनिट तक के मध्य रही है, परन्तु फरवरी माह के बीजक में 5522 यूनिट दर्शित होना एकदम असामान्य है, जिसे विपक्षी ने भी सुनवाई के समय स्वीकार किया है।

मंच के मत में परिवादी का दिनांक 12.12.2025 से चैक मापक स्थापित करने की तिथि दिनांक 14.03.2026 तक का बीजक, NR के पूर्व से तीन बिल चक्रों के मासिक औसत आधार {(1354+580+501)/3 = 812 यूनिट प्रतिमाह} पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को दिनांक 12.12.2025 के बाद भेजे गये समस्त बीजकों को निरस्त करे तथा उनके स्थान पर दिनांक 12.12.2025 से 14.03.2026 तक का बीजक 812 यूनिट प्रतिमाह के हिसाब से संशोधित करे। दिनांक 14.03.2026 से वर्तमान तक का बीजक चैक मापक/वर्तमान मीटर की वास्तविक खपत के आधार पर जारी करें। इस प्रकार संशोधित बीजक में कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा तथा उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि का भी समायोजन किया जायेगा। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–106/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

द्वारा विपिन चन्द्र परिवादी
मै0 इंडस टावर्स लिमिटेड(विकास खत्री)
हैड़ाखान मंदिर के पास,
पनियाली, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "In the month of Jan-26 wrongly Low PF surcharge claimed for the amount Rs- 2517/-. Our PF is over 98 because no motive load at our premise. Concocted reading being entered in billing system which is unjustified."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन संख्या–41900268015 मे 01/2026 माह में गलत जुड़कर आ रहे LPF की धनराशि Rs-2517.00 की शिकायत दर्ज की गयी है बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की LPF की धनराशि अतिरिक्त जुड़कर आ रही है। उक्त LPF की धनराशि को बिल में समायोजित कर दिया गया है, लेजर की प्रतिलिपि मा० मंच के समक्ष प्रस्तुत है।
3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 10.08.2026 में कहा गया है कि "We want to close the case No.106/2026 and case No.108/2026 as excess charged amount adjusted after approach before the Hon'ble Forum."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी

द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

21/08/2026		21/08/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–107/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

द्वारा विपिन चन्द्र परिवादी
मै0 इंडस टावर्स लिमिटेड(विकास)
सुंदरखाल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1- परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "In the month of Feb-26 wrongly Low PF surcharge claimed for the amount Rs- 2428/-. Our PF is over 98 because no motive load at our premise. Concocted reading being entered in billing system which is unjustified."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री बिपिन चन्द्र , मै० इंडस टावर लि० वार्ड न०–56, देवलचौड मानपुर पुरब, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, द्वारा बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी जिसके सापेक्ष उपभोक्ता का इस कार्यालय से सम्बन्धित खाता संख्या 42300076054 के पुराने मापक संख्या 9152426 की MRI व CONSUMER HISTORY से KWH व KVAH रीडिंग सत्यापित कर बिल संशोधित कर उक्त समस्या का निराकरण कर दिया गया है।

3- परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 07.08.2026 में कहा गया है कि "After approach to CGRF excess recovered amount is adjusted by the division. Therefore, we want to withdraw the case."

4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को

आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–108/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

द्वारा वि पि चन्द्र परिवादी
मै0 इंडस टावर्स लिमिटेड(विकास खत्री)
सुंदरखाल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

निर्णय

1. प बि दीद्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "**In the month of Jan-26 & Mar-26 wrongly Low PF surcharge claimed for the amount Rs-9443/-. Our PF is over 98 because no motive load at our premise. Concocted reading being entered in billing system which is unjustified.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 10.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन संख्या–41802228587 मे 03/2026 माह में गलत जुड़कर आ रहे LPF की धनराशि Rs-9443.00 की शिकायत दर्ज की गयी है। बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की LPF की धनराशि अतिरिक्त जुड़कर आ रही है। उक्त LPF की धनराशि को बिल में समायोजित कर दिया गया है, लेजर की प्रतिलिपि मा० मंच के समक्ष प्रस्तुत है।
3- प बि दीद्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 10.08.2026 में कहा गया है कि "**We want to close the case No 106/2026 and case No-108/2026 as excess charged amount adjusted after approach before the Hon'ble Forum..**"
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को

आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–109/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

द्वारा विपिन चन्द्र परिवादी
मै0 इंडस टावर्स लिमिटेड(दीपक वोहरा)
सुंदरखाल
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "In the month of Mar-26 concocted demand entered 87KW and wrongly Demand surcharge claimed for the amount Rs-15180/-."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के अतिरिक्त डिमांड धनराशि रु0 15180.00 थी उसे दि० 13.07.2026 को संशोधित कर समायोजित कर दिया गया है। उपभोक्ता के विद्युत बिल की बकाया धनराशि दि0 27.07.2026 को शून्य है। जिसके क्रम में लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 05.08.2026 में कहा गया है कि "We are agree with this information provided by the division and want to close the case."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र व परिवादी के संतुष्टि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवा दी की कायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद स्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/26

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/26

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 112/2026

Shri/Smt. भूपेंद्र सिंह, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	21/08/2026	आदेश पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। सुनवाई में उपस्थित परिवादी द्वारा दि० 21/08/2026 को अवगत कराया कि उसकी विद्युत लाईन एवं वोल्टेज संबंधी समस्या का समाधान विपक्षी द्वारा कि लाइन कर दिया गया है, परन्तु भविष्य में भी उन्हें लोड बढ़ाये जाने की आवश्यकता होती है तो कहीं उनसे पुनः लाईन निर्माण चार्ज न ले लिया जाये। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि परिवादी के वर्तमान विनियमों के अनुसार ही लाईन चार्ज लिया गया है तथा भविष्य में भी तत्कालीन विनियम के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी। उपभोक्ता के अनावश्यक एवं नियम विरुद्ध धनराशि नहीं ली गयी है तथा भविष्य में भी नहीं ली जायेगी। उपखण्ड अधिकारी के तर्क पर परिवादी ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि उसने 37500 रुपया ओवरहेड लाईन की धनराशि जमा की है तथा उसे भविष्य में अनुमानक थमाए जाने की आशंका थी परन्तु अब वह संतुष्ट है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की लाईन संबंधी समस्या का समाधान कर AB केबल डालकर कर दिये जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

21/08/2026
सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उपखण्ड निगम० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि० उपखण्ड निगम० हल्द्वानी

21/08/2026
सदस्य (न्यायिक)
वि० उपखण्ड निगम० हल्द्वानी

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 114/2026

Shri/Smt. जावेद अख्तर, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(T)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date

आदेश

21/08/2026 पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई। परिवादी की लोड बढ़ाने संबंधी डिमांड पर विपक्षी ने सुनवाई के समय बताया कि परिवादी द्वारा 902.00 रुपये जमा कराये जाने के बाद लोड बढ़ाने की कार्यवाही पूर्ण करदी जायेगी। विपक्षी द्वारा सुनवाई के समय श्री परिवादी को दूरभाष पर जोड़ा गया तो परिवादी ने अवगत कराया कि उसने वांछित जमानत धनराशि रुपया 902.00 जमा करा दिया है। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की लोड बढ़ाये जाने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण कर दस दिवसों के भीतर मंच में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करे।

निस्तारित

परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे, पत्रावली फाइल दफ्तर हो।

21/08/2026
सदस्य (प्रशासन)
वि० उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (तकनीकी)
वि० उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

21/08/26
अध्यक्ष (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत विारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नै नीताल

कोरम:– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–115/2026
पंजीकरण तिथि:–11.08.2026
निर्णय की तिथि:–21.08.2026

राधिका मारकूना पत्नी खड़ग सिंह मरकूना, पुनर्विादी
गिरजा विहार कालौनी कमलवागांजा,
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– से कनैक्शन सख्या–**392E226124315**, खाता सं०–40115619847 जो कि राधिका मारकूना के नाम से है। आपको अवगत कराना है कि पिछले कुछ माह से मेरे विद्युत बिल बढ़ कर आ रहे हैं पहले मेरे बिल 150.00 से 200.00 रूपये तक आता था। कि विद्युत विभाग द्वारा मेरा पुराना मापक बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया जिसके बाद एकदम से मेरा बिल ज्यादा आ गया है जबकि मेरा उक्त परिसर खाली रहता है जिसमें कोई भी नहीं रहता और अचानक से उसका बिल बढ़कर आ गया है। मैं विभाग के कई चक्कर लगा चुका हूँ परन्तु मेरी शिकायत की सुनवाई वहां कोई नहीं कर रहा है। मुझे बिल की सही जानकारी नहीं दी जा रही है। महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल सही करवा कर मुझे न्याय दिलायें। ताकि मैं समय से अपना बिल भर सकूं।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि:– श्रीमती राधिका मारकूना पत्नी खड़ग सिं मारकूना, गिरजा बिहार कॉलोनी, कमलुवागांजा, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल, "बिलिंग" से सम्बं ित कायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संयोजन संख्या–**392E226124315** का मीटर दिनांक 07 जून 2026 को बदला गया, जिसका बिल रीडिंग के अनुसार सही बना है।

3. दिनांक 21.08.2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। परिवादी द्वारा बताया गया कि उसके घर पर कोई नहीं रहता मात्र एक फ्रिज है, फिर भी बिल 97 यूनिट का आया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि उपभोक्ता को वास्तविक मीटर रीडिंग के ही बिल भेजे गए हैं। परिवादी को यदि मीटर तेज चलने की शंका है तो मीटर की शुद्धता जांच करा सकते हैं।

4. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बिल हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी ने वास्तविक खपत पर ही MU आधार पर बिल जारी किये हैं जो कि सामान्य खपत के हैं। परिवादी अपनी शंका के समाधान हेतु मीटर की शुद्धता जांच के लिए अपने परिसर पर चैक मापक स्थापित करवा सकता है। मंच के मत में वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

पा बो दीका वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—21.08.2026

21/08/2026 | 21/08/26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—21.08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 116/2026

Shri/Smt. नसीम अहमद सिद्दीकी, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(T)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	22/08/26	पत्रावली उत्तरवार हेतु प्रस्तुत। उभय पक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित। परिवादी की ओर से उनके प्रतिनिधि मो० फैजान अंसारी उपस्थित हुए। पक्षकारों को सुना गया। पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित।	सुरक्षित
	24/08/2026	पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत। मंच ने उभय पक्षों के तर्क सुनने के बाद पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया। साथ ही UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections And Related Matters) Regulations 2020 का भी संज्ञान लिया गया। उक्त विनियम के नियम 4.3.2. के अनुसार परिवादी वांछित प्रपत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न करता है तो नियमों नियमानुसार नामांतरण की कार्यवाही निर्धारित समयावधि में की करे। परिवाद तदनुसार निस्तारित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।	निस्तारित

सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी) सदस्य (वित्त)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607090001
पंजीकरण तिथि–13.07.2026
निर्णय तिथि–05.08.2026

के0एस0 नेगी
द्वारा योगेश सिंह नेगी
परिवादी
बद्री विहार प्रथम
पीरूमदारा, रामनगर
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **'I am writing to lodge a complaint regarding the incorrect electricity bill issued for my electricity connection. As per my latest bill, the billing period has been calculated for 48 days (13-05-2026 to 30-06-2026) instead of the normal 30-day billing cycle. Due to this incorrect billing period, my electricity consumption has been recorded as 768 units, causing my consumption to fall into a higher tariff slab and resulting in an excessively high bill amount of Rs. 4,900. This error has occurred due to the billing process of the Electricity Department and is not because of any fault on my part. I should not be burdened with additional charges arising from an incorrect billing period.**

I therefore request you to:

1. **Verify why the bill was generated for 48 days instead of the normal 30-day billing cycle.**
2. **Revise the bill after correcting the billing period.**
3. **Recalculate the units and applicable tariff slab.**
4. **Issue a corrected bill at the earliest.**

Consumer Details.

Consumer Name: K S Negi
Account No.: 40111879828
Mobile No.: 9389858990

I request that no late payment surcharge or penalty be imposed until the corrected bill is issued."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 27.07.2026 में कहा गया है कि:–

(1) श्री के०एस० नेगी बद्री विहार के द्वारा संयोजन संख्या–RR2M324034268 के बिलिंग से सम्बन्धित शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के संयोजन का विशलेषण करने पर मीटर रीडर द्वारा माह जून में उपभोक्ता का 48 दिवस का बिल बनाया गया है। जिसमें फिक्स चार्ज 01 माह का लिया गया है।

(2) 13.05.2026 से 30.06.2026 के कुल बिल 768 यूनिट को नियमानुसार स्लैब के अनुसार विभाजित कर विद्युत बिल बनाया गया है। जोकि सही है। जिस कारण उपरोक्त संयोजन में संशोधन किया जाना अपेक्षित नही है।

(3) शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 27.05.2026 के माह मई में रू0 1121.00 का बिल जमा करने के उपरान्त अपडेट न होने की शिकायत की गयी है। उपभोक्ता के बिलिंग लेजर का अवलोकन करने पर उपरोक्त धनराशि उपभोक्ता के बिल में 27.05.2026 को समायोजित की जा चुकी है।

3. वाद पर सुनवाई हेतु 05.08.2026 की तिथि नियत की गयी। परिवादी सुनवई में अनुपस्थित रहे जबकि विपक्षी उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। परिवादी ने सुनवाई में उपस्थित होने पर असमर्थता जताते हुए अपना लिखित पक्ष ई–मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वह विपक्षी के उत्त्त पत्र से संतुष्ट नहीं हैं। विभाग ने तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
परिवादी का अनुरोध है कि:–

(1) मेरे इस लिखित पक्ष एवं संलग्न साक्ष्यों को अभिलेख पर (On Record) लिया जाए।
(2) विभाग द्वारा जारी गलत बिल एवं गणना की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
(3) मेरे द्वारा पूर्व में किए गए भुगतान का सही समायोजन कर वास्तविक देय राशि निर्धारित की जाए।
(4) विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर मुझे उचित राहत प्रदान की जाए।
(5) मेरी अनुपस्थिति को नौकरी की बाध्यता के कारण क्षम्य मानते हुए मेरे प्रकरण का निर्णय उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर करने की कृपा करें।

4. सुनवाई में उपस्थित विपक्षी उपखण्ड अधिकारी का पक्ष सुना गया। विपक्षी ने परिवादी को भेजे गये बिल की स्लैब आधारित गणना शीट प्रस्तुत की, जो पूर्व में मंच कार्यालय द्वारा भी परिवादी को भेजी गयी है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक् रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत टैरिफ स्लैब के आधार पर प्रस्तुत गणना शीट का अवलोकन किया गया। गणना शीट में माननीय उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ ऑर्डर दर सूची के आधार पर ही उचित स्लैब के अनुसार विद्युत मूल्य की गणना की गयी है। साथ ही परिवादी द्वारा जमा करायी गयी 1121.00 रूपये की धनराशी 27.05.2026 को ही समायोजित की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि उपभोक्ता के लेजर से हो जाती है। वास्तविक खपत पर

उचित टैरिफ स्लैब के आधार पर जारी विद्युत बीजक में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–05/08/2026

05/08/26

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

05/08/2026

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–05/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607090003
पंजीकरण तिथि–13.07.2026
निर्णय तिथि–04.08.2026

जीवन चन्द्र
कांडपाल कालौनी
डूंगरपुर, हल्दूचौड़
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "I paid my last bill on January 2025 which was my all total due. But from February -march the bill was showing in +. So if there is any due. So give me that month's bill. Or refund my money."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 30.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता विद्युत संयोजन संख्या–391LS01085850 का सोलर रूफटोप के एक्सपोर्ट पर की जाने वाली पेमेंट दिनांक 28.07.2026 को RTGS के माध्यम से उपभोक्ता के SBI के बैंक खाते मे निर्गत की जा चुकी है।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 31.07.2026 में कहा गया है कि "I ask that why was the bill came in positive amount in February. My import electricity unit is less than export so why I paid 3965 rupees extra to you so please tell me."
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 04.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई में परिवादी उपस्थित नहीं हुए जबकि उपखण्ड अधिकारी मंच के समक्ष उपस्थित हुये। विपक्षी द्वारा परिवादी के लेजर की प्रति प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि परिवादी ने शिकायत में जो बिल प्रस्तुत किया है वह 01.02.2026 का है। तब उपभोक्ता की Export unit के आधार पर रूपये 5038/– तथा रूपये 8030/– का भुगतान खण्ड कार्यालय द्वारा किया गया था। माह 01/26 में उपभोक्ता का बिल –3666.52 (ऋणात्मक) था, माह 02/2026

में रु0 8030.00 उपभोक्ता को भुगतान किये जाने के उपरान्त शेष धनराशि को बिल में चार्ज किया गया है।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी के बिल लेजर से स्पष्ट है कि उसने अपनी शिकायत में जो बिल लगाया है वह ऋणात्मक (–353.81) का है परन्तु विभाग द्वारा किये गये सोलर EC भुगतान 8030.00 रूपये के कारण 4363.49 रूपये बिल में एरियर के रूप में दर्शित हो रहे हैं। लेजर से यह भी स्पष्ट है कि 30 जुलाई 2026 को भी विभाग द्वारा 1190.00 रूपये का सोलर एनर्जी भुगतान किया गया है। उपरोक्त चर्चा के बाद मंच के मत में यह पाया गया कि परिवादी की शिकायत तथ्यहीन है तथा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–04/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 042026071100001

Shri/Smt. हेमा नरेश पाठक **V/S** **Executive Engineer..** हल्द्वानी (ग्रामीण)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	04/08/2026	आदेश मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा अपत्रावली के उपलब्ध की पीडी० का कार्यालय ज्ञाप प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि पी०डी०रिपोर्ट के बाद शेष जमानत धनराशि का चैक जारी किया जा चुका है। चैक की फोटो प्रति संलग्न है। परिवादी इस चैक को विपक्षी के कार्यालय से प्राप्त कर सकता है। विपक्षी द्वारा इसी आशय की आख्या दिनांक 03/08/2026 को मंच में प्रस्तुत की गयी थी जिसकी प्रति परिवादी को भी मंच कार्यालय के ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अतः परिवादी द्वारा विपक्षी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 04/08/2026 (सदस्य उपनल) विष्णु प्रसाद डोभाल 04/8/2026 (सदस्य न्यायिक)	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

समक्ष 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607110002
पंजीकरण तिथि–13.07.2026
निर्णय तिथि–04.08.2026

जशदीचन्द्र
हरिपुर पूर्णानंद
गोरापड़ाव, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रा ण)ी
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन 0 लि
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

पक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकाय प्रस्तुत कर हुये कहा गया है कि 'Bill man is not coming every month to generate the bill that make us different to paid the every month bill amout Which increases further and we face difficulty in paying a large amount at once..'
2. पक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 30.07.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता विद्युत संयोजन सं0–931T116083660 का किसी तकनीकी कारण से बिलिंग नहीं हो पा रही थी, वर्तमान में उपभोक्ता का बिल बना दिया गया है साथ ही उपभोक्ता द्वारा जमा भी किया जा चुका है।
3. विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र परिवादी को इस आशय के साथ प्रेषित किया गया कि प वादी उत्तर पत्र के सापेक्ष अपना प्रतिउत्तर/आपत्ति/संतुष्टि दिनांक 04.08.2026 पूर्वाहन 11:00 बजे तक मंच में प्रस्तुत करें। परंतु परिवादी द्वारा ना तो आपत्ति प्रस्तुत की गई और ना ही संतुष्टि व्यक्त की गयी।
4. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। परिवादी ने मंच में बिल नहीं बनने की शिकायत की है। जिसके प्रतिउत्तर में विपक्षी ने अपनी आख्या में कहा है कि बीजक बना दिया गया है जिसका परिवादी द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत बिलिंग हिस्ट्री से स्पष्ट है कि जून के माह में परिवादी को बिल जा नरी किया गया। मंच में शिकायत के बाद जुलाई माह में बिल जारी कर दिया

गया है। अतः विपक्षी द्वारा शिकायत का समाधान कर ए जाने के फलस्वरुप वाद को आगे चलाई जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर ए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

04/08/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

घोषि

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद त।

दिनांकः–04/08/2026

04/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

04/08/2026
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607260001
पंजीकरण तिथि–27.07.2026
निर्णय तिथि–03.08.2026

पुनीत झा
सतखोल
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **'Regarding bill from 23rd August 2025 till 25th July 2026 amounting to INR 31588 (attached), I have made the payment through UPI and screenshot is attached for you reference. However, I am not able to download the receipt. Please check urgently.'**
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 20.07.2026 में कहा गया है कि ऑन लाईन वाद संख्या–04202607060001 श्री पूनीत झा, सतखोल (संयोजन संख्या–5909999717911) के द्वारा विद्युत बिल से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। उक्त कम में मा० मंच को निम्न बिन्दुओं से अवगत कराना है–
 1. उपभोक्ता द्वारा दि० 26.07.2026 को ऑनलाइन माध्यम से रु0 31588.00 का भुगतान किया गया है। जिसकी रसीद उपभोक्ता को ऐप के माध्यम से प्राप्त नहीं हुई है।
 2. उपभोक्ता के संयोजन संख्या 5909999717911 को विभागीय ऑनलाईन साइट पर जांच की गयी जिसमें उपभोक्ता द्वारा दिनांक 26.07.2026 को ऑनलाइन माध्यम से रु0 31588.00 का भुगतान की पुष्टि हुई है।
 3. उपभोक्ता द्वारा किये गये भुगतान की रसीद एवं लेजर की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। सूचनार्थ एवं आवश्यक दिशानिर्देश हेतु प्रेषित।
3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–03 / 08 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–03 / 08 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202607310001
पंजीकरण तिथिः–31.07.2026
निर्णय की तिथिः–21.08.2026

नारायण सिंह माहरा, परिवादी
बजूनिया हल्दू, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "There is excess bill issued. Pls check previous monthly bills paid prior in year 2025 in the bill. Now bill was issued after many months in spite of reminder to UPCL via Lohni Madam. Now exorbitant bill issued amounting to Rs. 60104. Pls rectify."

2. परिवादी द्वारा दिनांकित 17.08.2026 को अपने पत्र में कहा गया कि "Prior to OCT I was having single phase solar net meter. In OCT I had applied for a load increase to 5KVA, for that I was advised to get 3 phase connection. I asked the same to JE Niraj Arya at Katghariya said he will install a simple meter, not a solar net meter. For that issue I met ACTION Sir at Kamaluaganja he said let them install simple meter you get the new 3phase solar meter and get receipt issued for the same. The same will be changed after testing. The simple meter that was installed for time period between OCT 2025 to NOV 2025. The entire total reading have been been added instead of taking difference of final reading at time is removing the meter NOV and reading at the time of installing the meter in OCT."

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 18.08.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता नारायण सिंह महरा, बजुनिया हल्दू, हल्द्वानी, जिला– नैनीताल की शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 17.10.2025 एवं 13.11.2025 को दो बार मीटर बदला गया था जिस कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल में त्रुटी आ रही थी वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बिल सही कर दिया गया हैं, जिसकी धनराशी रु० 3194.00 हैं।
4. परिवादी द्वारा दिनांकित 21.08.2026 को अपने संतुष्टि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि– **"As discussed on the phone (ph no 9639139090) , the issue has been resolved. The department has revised the charges which have been duly paid today, Bill attached."**
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की विद्युत बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21.08.2026

21/08/2026		21/08/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–21.08.2026

		21/08/26
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608060001
पंजीकरण तिथि–07.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

गिरीश चन्द्र भट्ट
दुर्गापालपूर परमा
हल्दूचौड़, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागंजा, हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि 'MY SOLAR PLANT BILLING NOT COMPLETED TILL WHEREAS MY PLANT INSTALLED ON 18 MARCH 2025 AND METER INSTALLED ON 6 APRIL 2025 I'VE VISITED MULTIPLE TIME AT UPCL OFFICES AT LALKUAN AND KAMALUAGANJA BUT NOBODY HAVE TAKEN CORRECTIVE ACTION.'
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 17.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपनी शिकायत में विद्युत संयोजन संख्या–391NN15053892 मे स्थापित सोलर बिल की शिकायत दर्ज की गयी है। बिल का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 06.04.2025 को परिसर मे सोलर मापक लगाया गया है, लेकिन सोलर मापक की सीलिंग की प्रविष्टि ऑनलाइन मे नहीं हो पायी है जिस कारण से बिलिंग नहीं हो पायी है अतिशीघ्र सीलिंग फीड करवाकर MRI से बिलिंग करवा दी जाएगी, साथ ही माननीय मंच को भी सूचित करवा दिया जायेगा। अतः माननीय मंच से निवदन है की उक्त वाद में एक सप्ताह का तिथि विस्तार देने का कष्ट करें।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित जबकि परिवादी को दूरभाष के माध्यम से सूना गया। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये।

सूनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादी के संयोजन संख्या–40112657624 के सापेक्ष मीटर संख्या–एस एस 18250877

सीलिंग पोस्ट की जा चुकी है एवं अद्यतन बीजक सदर संलग्न कर अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की समस्या का समाधान किया जा चुका है। जिसकी पुष्टि परिवादी द्वारा टेलीफोनिक सुनवाई के दौरान की गयी हैं। अतः विपक्षी द्वारा शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

21/08/26
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608080001
पंजीकरण तिथि–10.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

मनोरमा देवी
कुँवर कॉलोनी
जी मॉल डहरिया के पास
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Earth leakage has been checked by qualified Electrician on 06/08/2026 at 13:00 HR, No Earth leakage has been found in premisses (A/C No. 40114032656) Name Manorama Devi Pathak (Meter No.) 42206430) Please don not sentd such type of massege in futur."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 19.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता मनोरमा देवी, कुंवर कालौनी, नियर जी मॉल, डहरिया हल्द्वानी जिला–नैनीताल, द्वारा अर्थ लीकेज से सम्बन्धित शिकायत दर्ज करायी गयी थी, जिसके सापेक्ष उपभोक्ता के परिसर का अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 19.08.2026 को निरीक्षण किया गया। चैकिंग के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर कहीं भी अर्थ लीकेज नहीं पाया गया निरीक्षण के दौरान उपभोक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि उनके परिसर की वायरिंग पुरानी है इसलिये उपभोक्ता को भी वायरिंग चैक कर परिसर की नयी अर्थिंग कराने का सुझाव दिया गया है।
3. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों को सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के परिसर पर स्थलीय निरीक्षण के दौरान कहीं भी अर्थ लीकेज नहीं पाया गया। परिवादी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनके परिसर की वायरिंग पुरानी है लेकिन अर्थ लीकेज नहीं है। परिवादी की शिकायत है कि उसे अर्थ लीकेज संबंधी मैसेज आ रहे हैं जिन्हें

बंद किया जाये। स्मार्ट मीटर द्वारा लीकेज दर्ज करने SMS के संबंध में उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि यदि परिवादी के परिसर पर किसी भी समय थोड़ी देर के लिए भी लीकेज हुआ होगा तो सिस्टम से SMS की यह प्रक्रिया स्वतः होती है। अर्थ लीकेज संबंधी SMS पर यह मंच कोई आदेश पारित नहीं करता। अतः वाद खारिज किए जाने योग्य है। ।

आदेश

वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

21/08/2026		21/08/2026
(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(आर0एस0 गुंज्याल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदरय(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608100001
पंजीकरण तिथि–10.08.2026
निर्णय तिथि–22.08.2026

खष्टी भट्ट
शिव बसंती निवास
सुनार गली, आदर्श नगर
तल्ली बमोरी, मुखानी
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागंजा, हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि **"As Billing from 30.06.2026 to 31.07.2026 export meter reding is 360 as per billing but actual meter reding is more than 517 kindly check. please check physical meter reding. Meanwhile I am paying current bill but export reding is not correct."**
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के संयोजन संख्या–391A115103116 जो कि सोलर संयोजन है की बिलिंग को चैक किया गया जिसके आधार पर बिल सही बन रहा है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 21.08.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। परिवादी द्वारा बताया गया कि उनके सोलर रूफ टॉप के इनवर्टर में अधिक रीडिंग दिख रही है जबकि बिल में निर्यात यूनिट कम दर्शायी जा रही है। विपक्षी उपखण्ड अधिकारी द्वारा कहा गया कि सोलर संयोजन के बीजक नेट मीटर की MRI रिपोर्ट के आधार पर तैयार किये जाते हैं ना कि इनवर्टर की रीडिंग के आधार पर। विपक्षी ने परिवादी के संयोजन की बिल हिस्ट्री प्रस्तुत करते हुए कहा कि वास्तविक रीडिंग पर ही बिल दिया जा रहा है।
4. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी की बिल हिस्ट्री से स्पष्ट है कि मीटर की आयात एवं निर्यात यूनिटों के आधार पर ही

विपक्षी ने बिल जारी किये हैं। अतः शिकायत बलहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून–248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22/08/2026

22/08/2026 | 22/08/26

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–22/08/2026

22/08/26

(हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) | (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) | (विष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:04202608100002

Shri/Smt. Khashti Devi, **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	21/08/2026	**आदेश** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी, के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा दिनांकः–09.07.2026 को वाद सख्या–04202607090001 ऑन लाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। परिवादी द्वारा उक्त तिथि को वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पंजीकृत की गयी, जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना CGRF पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। पुनः दिनांक 10.07.2026 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल वाद संख्या–पर **Case No**–0420260710001 पंजीकृत किया गया है। चूंकि **Case No**–04202607090001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी शिकायत एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या–04202607100001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 21/08/2026 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) 21/08/2026 (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	Disposed of

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608120001
पंजीकरण तिथि–12.08.2026
निर्णय तिथि–21.08.2026

रमेश चन्द्र जोशी
बैंक ऑफ बड़ौदा
ग्राहक सेवा केंद्र,
बेतालघाट
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "आदरणीय टीम UPCL, सादर अभिवादन । महोदय मे दैनिक रूप से होने वाले LIGHT FLACTUATION से काफी परेशान हूँ/सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक यह लगातार चलता है, जिस कारण से मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खतरे में है, महोदय मैं BANK OF BARODA का बैंकिंग आउटलेट चलाता।"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 19.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की समस्या का समाधान कर दिया गया है। उक्त क्रम में ही उपभोक्ता द्वारा सहमति पत्र भी कार्यालय को दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांक 19.08.2026 में कहा गया है कि "आदरणीय महोदय, CGRF में दर्ज मेरी Complaint 0420260812001 Dated– 12.08.2026 का समाधान आपके स्थानिय UPCL कार्यालय द्वारा कर दिया गया है। श्री हिमांशु तिवारी जी के संचालन में आपकी टीम द्वारा दिये गये सहयोग तथा त्वरित शिकायत निवारण का मैं हृदय से आभारी हूँ। THANK YOU TEAM UPCL."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को

आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व पश्चात परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–21/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–आर0एस0 गुंज्याल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202608130002
पंजीकरण तिथिः–13.08.2026
निर्णय की तिथिः–22.08.2026

विनीता वर्मा, परिवादी
नीलकंठ विहार,
नियर ओसिस स्कूल हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– "I am writing to formally lodge a grievance regarding a persistent issue with my electricity connection that has remained unresolved by UPCL for over 03 months, despite multiple follow-ups and reminder to Local division through UPCL customer care."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमाऊँ क्षेत्र के पत्रांक 702 दिनांक 13.08.2026 के अनुपालन में मंच के समक्ष शिकायतकर्ता श्रीमती विनीता वर्मा, नीलकंठ विहार, नियर ओसिस स्कूल, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल के द्वारा मीटरिंग से सम्बंधित शिकायत के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि अकाउंट न0–42200060551 (397E107416548) जो कि श्रीमती विनीता वर्मा के नाम पर है की बिलिंग को चेक किया गया जिसके अनुसार उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर ही बनाया जा रहा है।

3. विपक्षी की आख्या परिवादी को आपत्ती/प्रतिउत्तर हेतु प्रेषित की गई तथा 22.08.2026 की तिथि नियत की गई।
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवादी ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया है कि उसे मीटर की रीडिंग में **FLUCTUATION** की आशंका है, अतः उसके मीटर की टेस्टिंग की जाए। विपक्षी की आख्या के अनुसार परिवादी का बिल रीडिंग के आधार पर ही बनाया गया है। मंच के मत में परिवादी को यदि अपने मीटर के संबंध में कोई शंका है तो वह मीटर की शुद्धता जांच हेतु चैक मापक के लिए निर्धारित शुल्क के साथ विपक्षी के कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी द्वारा चैक मापक के लिए वांछित शुल्क जमा करने पर निर्धारित समयावधि के भीतर मीटर की जांच करें। परिवाद तद्नुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.08.2026

22/08/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.08.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(आर0एस0 गुंज्याल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.:04202608150001

Shri/Smt. गिरीश चन्द्र भट्ट., **V/S** **Executive Engineer..Haldwani(R)**

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Date
	21/08/2026	**आदेश** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी, के ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। अवलोकित। पंजीकृत। परिवादी द्वारा दिनांकः–06.08.2026 को वाद संख्या–04202608060001 ऑन लाइन पोर्टल पर यही शिकायत दर्ज करायी जा चुकी है। जिस पर कार्यवाही गतिमान है। परिवादी द्वारा उक्त तिथि को वही शिकायत ऑन लाइन पोर्टल पंजीकृत की गयी, जिसे निरस्त करते हुये मंच कार्यालय द्वारा सूचना CGRF पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गयी है। पुनः दिनांक 15.08.2026 को परिवादी द्वारा ऑन लाइन पोर्टल वाद संख्या–पर **Case No**–04202608150001 पंजीकृत किया गया है। चूंकि **Case No**–04202608060001 वर्तमान में मंच में विचाराधीन है व परिवादी द्वारा पंजीकृत की गयी शिकायत एक ही है। अतः इस शिकायत संख्या–04202608150001 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। 21/08/2026 (हिमांशु बहुगुणा) सदस्य (उपभोक्ता) (आर0एस0 गुंज्याल) सदस्य (तकनीकी) 21/08/2026 (बिष्णु प्रसाद डोभाल) सदस्य (न्यायिक)	Disposed of